24 जुलाई, 2014 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की 62वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 62.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

14 सितंबर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, फेज 2, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2014 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डीएलएफ इंफो पार्क (पुण) लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक को 27 जून, 2008 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 26 जून, 2014 तक वैध था।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि पर 6.57 करोड़ रुपए का निवेश
(ii) अवसंरचना के विकास पर 173.43 करोड़ रुपए का निवेश (15 जून 2014 तक की स्थिति के अनुसार)
(iii) कोई कर लाभ प्राप्त किए गए बगैर एसईजेड के 15 प्रतिशत प्रस्तावित भवनों (प्लिंथ लेवल) का विकास किया गया है।
(iv) एसईजेड की अधिसूचना जारी हो जाने पर 12 से 15 मार्च के अंदर इसका कार्यान्वयन किया जाएगा।
(v) एसईजेड के कार्यान्वयन के 12 से 15 मार्च के अंदर एसईजेड को क्रियाशील बनाया जाएगा।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) प्लाट नंबर सी-22, एमआईडीसी, फाइव स्टार औद्योगिक क्षेत्र, शेंद्रे, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 8 मई, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इंसपिरा इनफ्रा (औरंगाबाद) लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 **जुलाई** 2007 **को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को चार विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि** 8 **मई**, 2014 **को समाप्त हो गई है।**

विकासक ने वैश्विक आर्थिक मंदी, पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने में विलंब, आदि के कारण वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) **भूमि तथा साइट विकास पर किया गया व्यय** 183 **लाख रुपए है**
(ii) **भवन अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण पर किया गया व्यय** 291 **लाख रुपए है**
(iii) **प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र की चारदीवारी का काम** 80 **प्रतिशत तक पूरा हो गया है**
(iv) **भूमि को समतल बनाने तथा ग्रेडिंग करने और सुरक्षा केबिन का कार्य पूरा हो गया है।**

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध प्रस्तुत किया है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) द्रोणगिरी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद्य क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2014 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद्य एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक को 30 **जुलाई**, 2007 **को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को चार विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि** 29 **जुलाई**, 2014 **को समाप्त हो गई है।**

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) **परियोजना पर अब तक** 3580.70 **करोड़ रुपए का निवेश**
(ii) 55.88 **किलोमीटर चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है**
(iii) **स्टार्म वाटर ड्रेन के** 3.93 **किलोमीटर तथा आंतरिक सड़कों के** 2.32 **किलोमीटर का निर्माण पूरा हो गया है**
(iv) 1.48 **किलोमीटर वाटर लाइन तथा** 1.48 **किलोमीटर सीवेज लाइन बिछाई गई है।**
(v) **एसईजेड की फीडिंग के लिए** 7.1 **किलोमीटर लंबी बाहरी पाइप लाइन**
(vi) **खुले प्रांगणों का विकास**
(vii) **ईंधन भंडारण टैंक तथा ईंधन स्टेशन का इंस्टालेशन एवं प्रचालन**
(viii) 1.8 **किलोमीटर पावर केबल बिछाई गई है**
(ix) **केन्द्रीय प्रयोगशाला का निर्माण**
(x) **प्रशासनिक भवन तथा विकास आयुक्त के कार्यालय का निर्माण**
(xi) **लैंड स्केपिंग तथा वृक्षारोपण के लिए नर्सरी स्थापित की गई है**
(xii) 5557 **वर्गमीटर का सुपर / सब स्ट्रक्चर**

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2014 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक को 26 जुलाई, 2007 को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को चार विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 25 जुलाई, 2014 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए हैं :

(i) महाराष्ट्र राज्य एसईजेड अधिनियम का अधिनियमित न होना
(ii) राज्य एसईजेड अधिनियम के अभाव में राज्य लेवी / कर के संबंध में राजकोषीय लाभों के उपलब्ध न होने के कारण यूनिटें स्थापित करने के लिए उद्यमियों से कम रिस्पांस
(iii) एसईजेड विकासकों तथा यूनिटों पर मैट एवं डीडीटी लगाया गया है जिसका एसईजेड में यूनिटें स्थापित करने पर सीधा असर पड़ रहा है
(iv) प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता में उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के बारे में अनिश्चितताएं हैं
(v) यूएसए और यूरोप में प्रमुख निर्यात बाजारों में आर्थिक मंदी के कारण यूनिट स्थापित करने के लिए उद्यमियों का कम रिस्पांस।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) निवेश : 31 मई 2014 तक 294.97 करोड़ रुपए।
(ii) 3.47 किलोमीटर चारदीवारी, 0.4 किलोमीटर की चेन लिंक फेंसिंग तथा 1500 वर्गमीटर की आंतरिक सड़क का निर्माण हो गया है।
(iii) आरंभिक भूमि विकास पूरा हो गया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) उल्वे, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2014 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उल्वे, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक को 27 फरवरी, 2009 को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को दो विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 26 फरवरी, 2014 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण बताए हैं :

(i) भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियों आदि की समस्याएं

(ii) पिछले 20 महीनों से सिडको / जेम के पास मीलपत्थरों के विस्तार के लिए एनएमएसईजेड का अनुरोध लंबित है तथा अभी भी विचाराधीन है

(iii) महाराष्ट्र एसईजेड अधिनियम का अधिनियमित न होना

(iv) राज्य एसईजेड अधिनियम के अभाव में राज्य लेवी के संबंध में राजकोषीय लाभों के उपलब्ध न होने के कारण यूनिटें स्थापित करने के लिए उद्यमियों से कम रिस्पांस

(v) मैट एवं डीडीटी लगाया जाना

(vi) प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता में उपलब्ध प्रोत्साहनों की अनिश्चितता

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(iv) दिसंबर 2013 तक 82.06 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया गया है।

(v) 3 किलोमीटर चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है।

(vi) 1161 वर्गमीटर के कस्टम कार्यालय के साथ कस्टम बांडेड एरिया का निर्माण पूरा हो गया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2014 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु सेवा एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक को 26 जुलाई, 2007 को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को चार विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 25 जुलाई, 2014 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण बताए हैं :

(i) महाराष्ट्र राज्य एसईजेड अधिनियम के अधिनियमन में असाधारण विलंब

(ii) राज्य एसईजेड अधिनियम के अभाव में राज्य लेवी / कर के संबंध में राजकोषीय लाभों के उपलब्ध न होने के कारण यूनिटें स्थापित करने के लिए उद्यमियों से कम रिस्पांस

(iii) मैट एवं डीडीटी लगाए जाने से एसईजेड विकासकों एवं यूनिटों की प्रतिस्पर्धी क्षमता समाप्त हो गई है

(iv) प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता में प्रोत्साहनों की अनिश्चितता

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) 31 मई 2014 तक 390.07 करोड़ रुपए का निवेश

(ii) 1.58 किलोमीटर चारदीवारी तथा 0.329 किलोमीटर चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण

(iii) 3295.31 वर्गमीटर की आंतरिक सड़कों का निर्माण हो गया है

(iv) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण से एसईजेड के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए 0.8 किलोमीटर की बाहरी वाटर पाइप लाइन का निर्माण पूरा हो गया है।

(v) पीईबी शेड के 432.16 वर्गमीटर का निर्माण कर लिया गया है

(vi) राज्य एसईजेड अधिनियम के अधिनियमन के अधीन 2018 तक पूर्ण समाप्ति

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii उल्वे, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट मल्टी सर्विसेज एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2014 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक को 27 फरवरी, 2009 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को दो विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 26 फरवरी, 2014 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण बताए हैं :

(i) भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियों आदि की समस्याएं
(ii) पिछले 20 महीनों से सिडको / जेम के पास मीलपत्थरों के विस्तार के लिए एनएमएसईजेड का अनुरोध लंबित है तथा अभी भी विचाराधीन है
(iii) महाराष्ट्र एसईजेड अधिनियम का अधिनियमित न होना
(iv) राज्य एसईजेड अधिनियम के अभाव में राज्य लेवी के संबंध में राजकोषीय लाभों के उपलब्ध न होने के कारण यूनिटें स्थापित करने के लिए उद्यमियों से कम रिस्पांस
(v) मैट एवं डीडीटी लगाया जाना
(vi) प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता में उपलब्ध प्रोत्साहनों की अनिश्चितता

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) दिसंबर 2013 तक 280.59 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया गया है।
(ii) 7.56 किलोमीटर चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है
(iii) 1130 वर्गमीटर के कस्टम कार्यालय के साथ कस्टम बांडेड एरिया का निर्माण पूरा हो गया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने 26 फरवरी 2015 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) ग्राम सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक को 25 जून, 2007 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के 4 विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 24 जून, 2014 तक वैध था।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) एसईजेड अवसंरचना के विकास में 6200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है।

(ii) सीएसआर की गतिविधियों में 4 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(iii) 42 किलोमीटर की चारदीवारी में से 40.80 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो गया है

(iv) एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी बुनियादी अवसंरचना जैसे कि 8 एमएलडी की ताजे पानी की आपूर्ति, 270 मेगावाट बिजली तथा सड़कें तैयार हैं और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रसंस्करण क्षेत्र को उपलब्ध कराया जा सकता है।

(v) दिसंबर 2015 तक 70 प्रतिशत परियोजना पूरी हो जाएगी तथा शेष 23 प्रतिशत परियोजना 2018 तक पूरी हो जाएगी।

(vi) जल संसाधन विभाग ने 190 एमएलडी रिसाइकल वाटर आवंटित किया है। गोदावरी नदी पर एकनाथ बैराज से पानी प्राप्त करने के लिए 16 जनवरी 2012 को 100 एमएलडी (पीएच-1) तथा 8 फरवरी 2012 को 90 एमएलडी (पीएच-2) के लिए सिंचाई विभाग के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(vii) उनके ग्रुप की एक कंपनी इंडियाबुल्स टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस लिमिटेड ने यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है तथा अनुमोदन के लिए यूनिट अनुमोदन समिति के पास आवेदन किया है।

(viii) 190 एमएलडी रिसाइकल वाटर के लिए क्रास कंट्री पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ix) महादेवपुरा और कग्गाडासपुरा, केआर पुरम, ह्वाइटफील्ड, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 3 जुलाई, 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के 4 विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 2 जुलाई, 2014 तक वैध था।

विकासक ने अगले एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुरोध की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि पिछला विस्तार 25 अप्रैल 2014 को प्रदान किया गया था जो 2 जुलाई 2014 तक वैध था। पिछले 2 महीनों में सरकार से एक भी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) बीडीए से प्लान का अनुमोदन प्राप्त किया गया है

(ii) भूमि का विकास कर लिया गया है तथा चारदीवारी का निर्माण किया गया है

(iii) मजदूरों के क्वार्टर निर्मित किए गए हैं।

(iv) आरएमसी प्लांट का प्रावधान किया गया है।

(v) 2 जुलाई 2014 के बाद विस्तार प्राप्त होने पर वे बीबीएमपी प्लान की संस्वीकृति, बीडब्ल्यूएसएसबी की स्वीकृति, केईबी की स्वीकृति, अन्य सरकारी एजेंसियों से एनओसी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन करेंगे।

(vi) इनके बाद वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होगा।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(x) कट्टिजेनहल्ली एवं वेंकटाला गांव, येलाहांका होबली, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 18 जून, 2009 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 17 जून, 2014 तक वैध थे।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) 78.79 करोड़ रुपए का कुल निवेश
(ii) सिविल कार्य पूरा हो गया है, विद्युत कार्य शुरू हो गया है तथा एमईपी कार्य के लिए आर्डर दिए गए हैं।
(iii) 11.20 लाख वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र का निर्माण पूरा होने वाला है।
(iv) चरण 1 के पूरा होने का प्रत्याशित समय सितंबर 2014 है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xi) ग्राम नगवारा, बंगलौर उत्तर तालुक, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कार्ले इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

19 जून 2007 को विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के 4 विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 18 जून, 2014 तक वैध था।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विलंब के कारण :

(i) 1.5 मिलियन वर्गफीट के कार्यालय के विकास के लिए चरण 1 के 11वें फ्लोर तक स्ट्रक्चरल और ब्रिक वर्क पूरा हो गया है
(ii) उन्होंने यह भी बताया है कि शेष कार्य चल रहा है तथा दिसंबर 2014 से पहले पूरा हो जाएगा
(iii) ट्रकों की हड़ताल के कारण परियोजना में विलंब हुआ क्योंकि इसकी वजह से विकास कार्यों के लिए अपेक्षित कच्चा माल जैसे कि रेत, जेली, सीमेंट, स्टील आदि नहीं आ सका। इसकी वजह से उनको कम से कम 3 से 4 माह तक निर्माण कार्य बंद करना पड़ा।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) 394 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है तथा कार्य के अन्य क्षेत्रों में चरण 1 को पूरा करने के लिए 53 करोड़ रुपए का और निवेश किया जाएगा।

(ii) दिसंबर 2014 तक चरण 1 में 1.5 मिलियन वर्गफीट का निर्माण पूरा होने वाला है जो कुल विकास योजना का 41.66 प्रतिशत है।

(iii) विकासक ने 513 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश से शेष 58.34 प्रतिशत कार्य को पूरा करने का प्रस्ताव किया है।

(iv) दिसंबर 2014 में चरण 1 के विकास को पूरा करने के लिए कुल निवेश 960 करोड़ रुपए होगा अर्थात 394 करोड़ रुपए प्लस 53 करोड़ रुपए (शेष बैलेंस) और 513 करोड़ रुपए (भावी विकास)

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तदनुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xii) अलुवा तालुक, एर्नाकुलम में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 जून, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ इनफ्रा लिमिटेड का अनुरोध

26 अक्टूबर 2006 को विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 5 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता 30 जून, 2014 को समाप्त हो गई।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) साइट तैयार कर ली गई है। एसईजेड का साइट कार्यालय स्थापित हो गया है

(ii) अस्थायी चारदीवारी के लिए बैरीकेडिंग की सामग्रियां प्राप्त कर ली गई हैं।

(iii) सीमा शुल्क विभाग के कार्यालय के लिए साइट पर एक कंटेनर स्थापित किया गया है।

(iv) मास्टर प्लान / ले आउट प्लान तैयार करने के लिए परियोजना के लिए प्रतिष्ठित वास्तुकार की नियुक्ति की गई।

(v) बैरीकेड खड़ा करने के लिए जिला कलेक्टर, एर्नाकुलम से अनुमति ली गई और इसके बाद बैरीकेडिंग का कार्य शुरू हो गया है।

(vi) मास्टर प्लान / लेआउट प्लान को अंतिम रूप दिया गया तथा पंचायत को प्रस्तुत किया गया तथा इसके बाद आवश्यक अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय नगर आयोजना को प्रस्तुत किया गया।

(vii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई तथा सरकार को प्रस्तुत की गई।

(viii) एकल खिड़की क्लियरेंस के गठन के लिए केरल सरकार को आवेदन प्रस्तुत किया गया।

(ix) पर्यावरणीय स्वीकृति / सहमति आदेश के लिए आवेदन दाखिल किया गया।

(x) बिजली एवं पानी के लिए संबंधित विभाग में आवेदन किए गए।

विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने भूमि के क्रय, बैरिकेड के लिए सामग्री की व्यवस्था, सीमा शुल्क विभाग के साइट कार्यालय के लिए कंटेनर तैयार करने आदि के लिए 8.8 करोड़ रुपए का व्यय किया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xiii) उथुकुली गांव, इरोड जिला, तमिलनाडु में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 मई, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड का अनुरोध

31 मई 2006 को विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के 5 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जो 30 मई, 2014 तक वैध है।

विकासक ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि एसईजेड की यूनिटों में से एक ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया है तथा निर्यात करने की प्रक्रिया में है और प्रलेखन में प्रक्रियागत विलंब हुआ है। उन्होंने 3 यूनिटों को सहमति पत्र भी जारी किया है तथा वे सितंबर 2014 तक निर्यात करना शुरू कर देंगी।

विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने मौजूदा सड़क का सुदृढ़ीकरण, बुनाई एवं वारफाइंड गारमेंट्स के चार भवनों तथा कर्मचारियों के लिए हॉस्टल का निर्माण पूरा हो गया है तथा अन्य परियोजना को पूरा करने की समय सीमा दिसंबर 2014 है।

विकासक ने यह भी सूचित किया है कि मैसर्स अनबालाया ए फैब्रिक जो इस एसईजेड की यूनिट है, ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया है तथा निर्यात करने की प्रक्रिया में है और प्रलेखन में प्रक्रियागत विलंब हुआ है। उन्होंने मैसर्स जेटो टेक्सटाइल, मैसर्स एयरो टेक्सटाइल तथा रियो टेक्सटाइल को सहमति पत्र भी जारी किया है तथा वे सितंबर 2014 तक निर्यात करना शुरू कर देंगे।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xiv) होसुर, विश्वनाथपुरम, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 8 मई, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 जुलाई 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को चार विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 8 मई, 2014 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) 40 प्रतिशत अवसंरचना कार्य पूरा हो गया है तथा शेष विकास कार्य दिसंबर 2014 तक पूरा हो जाएगा।

(ii) 50000 वर्गफीट के आईटी भवन का निर्माण प्रगति पर है तथा अब तक 35 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है और दिसंबर 2014 तक शेष कार्य पूरा हो जाएगा।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सिफारिश की है कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुरोध पर विचार किया जा सकता है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xv) वेंकाडू गांव, श्रीपेरंबदूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 9 फरवरी, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जय जी हाइटेक इनफ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

10 फरवरी 2009 को विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 09 फरवरी, 2012 को समाप्त हो गई है। विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं किया था। विकासक ने बताया है कि नवीकरण के लिए आवेदन गलती से नहीं किया गया। विकासक ने 10 फरवरी 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था।

विकासक ने बताया है कि उन्होंने साइट की सफाई, लेवलिंग तथा भूमि भराव का काम पूरा कर लिया है तथा निर्माण के लिए साइट तैयार है। भूमि विकास, फेंसिंग तथा कंपाउंड का कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने परियोजना को पूरा करने के लिए निम्नलिखित समय सीमा प्रदान की है :

(i) **सांविधिक अनुमोदन - अगस्त** 2014
(ii) **सड़कों का विकास - दिसंबर** 2014
(iii) **भवन एवं सिविल कार्य - दिसंबर** 2015
(iv) **वाटर कनेक्शन - दिसंबर** 2014
(v) **विद्युत कनेक्शन - दिसंबर** 2014
(vi) **वाणिज्यिक प्रचालन - फरवरी** 2016

विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xii) श्रीपेंरम्बदूर, तमिलनाडु में आईटी / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स फाक्सकॉन इंडिया डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

26 जुलाई 2007 को विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 तक है।

विकासक ने 26 जुलाई 2013 से दो साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है ताकि परियोजना को लागू किया जा सके।

विकासक ने बताया है कि पिछले वर्षों में वैश्विक आर्थिक मंदी, एसईजेड पर मैट, डीडीटी लगाए जाने आदि के कारण वे अपनी परियोजना लागू नहीं कर सके हैं। विकासक ने बताया है कि मोबाइल उद्योग में हाल की घटनाएं उत्साहवर्धक हैं तथा कंपनी इस स्थिति का लाभ उठाने की उम्मीद कर रही है।

विकास आयुक्त,एमईपीजेड एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव
की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xvii) करकापटला गांव, मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अप्रैल, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

26 अक्टूबर, 2006 को विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को 5 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 25 अप्रैल, 2014 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने 2008 और 2009 में आर्थिक मंदी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई, के आधार पर एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। मंदी के कारण पूरी दुनिया में लगभग सभी उद्योगों की प्रत्याशित मांग कमजोर पड़ गई थी। इस प्रकार तीन साल की समय सीमा के अंदर एसईजेड क्रियाशील नहीं हो सका।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) एसईजेड में कुल 18 एकड़ के लिए चार आवंटन किए गए तथा भूमि के आवंटन के लिए नए आवेदन भी प्राप्त हो रहे हैं।

(ii) विकासक करने तथा एसईजेड को लागू करने के लिए विकासक को और दो साल के समय की आवश्यकता है।

(iii) विकासक ने 31 मार्च 2014 तक की स्थिति के अनुसार 5.08 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

(iv) विकासक राज्य सरकार की संस्था है तथा 2015 में क्रियाशील होने की उम्मीद कर रहा है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xxiii) ग्राम घमरोज, तहसील सोहना, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स डॉ. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

26 जून, 2006 को विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के 5 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जो 25 जून, 2014 तक वैध है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने बताया है कि एसईजेड को क्रियाशील बनाने के लिए वे पिछले दो साल से टेनेंट प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। केन्द्र सरकार तथा भारत की राज्य सरकारें, सिंगापुर सरकार, सिंगापुर सरकार की एजेंसियां जैसे कि आईई सिंगापुर ने सहायता प्रदान की है परंतु प्रयास सार्थक नहीं हुए और परियोजना अभी भी खाली पड़ी है। विकासक ने सूचित किया है कि एसईजेड के विकास में उन्होंने काफी निवेश किया है तथा पहला भवन पूरा कर लिया है परंतु भवन खाली पड़ा है, इसलिए वे औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं।

विकासक ने चरण 1 के निर्माण एवं विकास पर 157 करोड़ रुपए तथा भूमि में लगभग 10 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

विकास आयुक्त,एनएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xix) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 नवंबर, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

26 जुलाई, 2007 को विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जुलाई, 2013 तक वैध थी।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने सूचित किया है कि परियोजना को लागू करने के लिए उनके द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) लेवलिंग का कार्य तथा साइट की फेंसिंग की गई है।

(ii) एसईजेड का मास्टर प्लान फिर से तैयार किया जा रहा है तथा सितंबर 2014 तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

(iii) विकासक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्राप्त होने के बाद एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र तथा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के सीमांकन के लिए आवेदन करेगा।

(iv) भूमि के क्रय पर लगभग 175 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है तथा अन्य कार्यों जैसे भवन की डिजाइन, सांविधिक लेवी तथा साइट सुधार पर 0.34 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

(v) विकासक ने गणना चार्ट के साथ 15.74 करोड़ रुपए के लिए बांड सह विधिक वचन पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसे एलओए की वैधता अवधि बढ़ाए जाने तक आस्थगित रखा गया है।

विकास आयुक्त ने बताया है कि विकासक ने परियोजना को लागू करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। तथापि, यदि और विस्तार प्रदान किया जाता है तो इस संबंध में उसे और प्रभावी कदम उठाना होगा।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ छ: माह की अवधि के लिए वैधता बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xiii) उमरिया डुंगरिया गांव, शाहपुरा, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषि आधारित उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 जनवरी, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स एमपीएकेवीन (जबलपुर) लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 14 जनवरी, 2009 के माध्यम से विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को एक विस्तार प्रदान किया जा चुका है जिसकी वैधता अवधि 13 जनवरी, 2013 तक थी।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए 13 जनवरी, 2015 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने 13 जनवरी 2014 तक वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की है तथा इसी आधार पर 13 जनवरी 2014 तक पहला विस्तार प्रदान किया गया था। तद्नुसार विकासक से परियोजना को लागू करने के लिए वास्तविक समय सीमा के साथ स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसके बाद विकासक ने विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड को सूचित किया कि संभावित निवेशकों की रुचि न होने के कारण वे एसईजेड को विमुक्त कराने पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद 120 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश तथा 3000 लोगों को रोजगार के साथ 120 एकड़ के क्षेत्रफल में बांस आधारित बोर्ड और फर्नीचर प्लांट स्थापित करने के लिए एक यूनिट द्वारा विकासक से संपर्क किया गया। तद्नुसार, विकासक

ने अब औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त द्वारा निरीक्षण पर पता चला कि एसईजेड की संपर्क सड़क का निर्माण लगभग पूरा हो गया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) पीपीपी मोड के तहत सह विकासक के चयन के लिए दो बार आरएफक्यू आमंत्रित किया जा चुका है।
(ii) विद्युत तथा जलापूर्ति योजना के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं।
(iii) संपर्क सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड ने 13 जनवरी, 2015 तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xxi) ग्राम कल्याणगढ़ एवं गांगढ़, तालुक बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में फर्मास्युटिकल एवं फाइन केमिकल एसईजेड स्थापित करने के लिए 16 अप्रैल 2013 के बाद एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स दिशमन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 17 अप्रैल 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 16 अप्रैल, 2014 तक वैध थी।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) चारदीवारी के अधिकांश भाग का निर्माण पूरा हो गया है
(ii) सीवेज का कार्य चल रहा है
(iii) कस्टम और सिक्योरिटी के लिए कार्यालय स्थान का सृजन किया गया है
(iv) 1000 मीटर लंबी स्टार्म वाटर पाइप लाइन बिछाई गई है
(v) आंतरिक सड़क का कार्य प्रगति पर है तथा मिट्टी का कार्य पूरा हो गया है
(vi) अब तक 74.09 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया है कि इस मामले में आयकर विभाग ने एसईजेड की अधिसूचना निरस्त करने / वापस लेने के लिए उनसे अनुरोध किया है ताकि वे 26.66 करोड़ की मांग की वसूली कर सकें। आयकर विभाग ने सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए अधिसूचित क्षेत्रफल के कुल 27 ब्लाकों में से भूमि के 45 ब्लाकों को अनंतिम रूप से कुर्क कर दिया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने पुन: एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मामले की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xxii) ओगनज गांव, दसक्रोई तालुक, अहमदाबादजिला, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 6 मई, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कैलिका कंस्टक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 6 नवंबर 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 5 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 6 मई, 2014 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने परियोजना को पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि पर दो करोड़ रुपए तथा अवसंरचना पर 12 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है
(ii) पिछला विस्तार प्रदान किए जाने के बाद 70 लाख रुपए का निवेश किया गया है
(iii) चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है
(iv) सड़कों का काम पूरा हो गया है
(v) दो टावरों में 4.50 लाख वर्गफीट के कार्यालय स्थान का निर्माण किया गया है
(vi) कस्टम स्टाफ के लिए कार्यालय परिसर का निर्माण चल रहा है
(vii) जलापूर्ति के लिए बोर वेल का निर्माण किया गया है
(viii) एसईजेड के लिए विद्युत आपूर्ति प्राप्त की गई है
(ix) वे 8 लाख वर्गफीट के प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहते हैं तथा 8000 लोगों को रोजगार के साथ 400000 वर्गफीट के कार्यालय स्थान के लिए 6 बड़ी आईटी कंपनियों से पूछताछ प्राप्त कर रहे हैं।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xxiii) 6 मई 2014 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कांडला पोर्ट ट्रस्ट जो कांडला एवं टूना, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

7 मई, 2007 को कांडला पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को चार विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 6 मई, 2014 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने परियोजना को पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने बताया है कि भूमि के स्वामित्व के संबंध में स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों से अभी तक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें विकासक के कानूनी कब्जा तथा अप्रतिसंहार्य अधिकारों तथा प्रस्तावित एसईजेड स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार की सहमति के बारे में उल्लेख होता है।

विकासक ने सूचित किया है कि मैसर्स न्यू कांडला साल्ट एंड केमिकल वर्क्स जो वादियों में से एक है, द्वारा दाखिल किए गए 2013 के सिविल आवेदन संख्या 2757 को खारिज कर दिया गया है तथा गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केपीटी के पक्ष में 26 दिसंबर 2013 को मामले में फैसला सुनाया गया है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पार्टी द्वारा दाखिल की गई अपील अस्वीकार कर दी गई है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने औपचारिक अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xxiv) ग्राम ओगनाज, तालुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 19 जून 2013 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 20 **दिसंबर** 2006 **को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के** 5 **विस्तार प्रदान किए गए हैं जो** 19 **जून**, 2014 **तक वैध था।**

विकासक ने परियोजना को पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) 51.45 **करोड़ रुपए का निवेश जिसमें भूमि अधिग्रहण पर** 49.05 **करोड़ रुपए तथा अन्य व्यय पर** 2.40 **करोड़ रुपए शामिल हैं**
(ii) **चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है**
(iii) **एसईजेड के कार्यालय तथा माल गोदाम के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है**
(iv) **साइट की सफाई, साइट की लेवलिंग तथा पीली मिट्टी भरने का कार्य पूरा हो गया है**
(v) 90 **करोड़ रुपए की लागत पर सितंबर** 2015 **तक** 5 **लाख वर्गफीट के चरण** 1 **का निर्माण पूर्ण हो जाने की उम्मीद है**
(vi) 95 **करोड़ रुपए की लागत पर सितंबर** 2017 **तक** 5 **लाख वर्गफीट के चरण** 2 **का निर्माण पूर्ण हो जाने की उम्मीद है**

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने पुन: छ: माह की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xxv) जीआईडीसी, पनोली औद्योगिक संपदा, पनोली, जिला भडूच, गुजरात में फर्मास्युटिकल एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 जून 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स एचबीएस फर्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 17 **जून,** 2008 **को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता** 16 **जून**, 2014 **को समाप्त हो गई है।**

विकासक ने परियोजना को पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) 175.14 **करोड़ रुपए का निवेश जिसमें भूमि पर** 70.47 **करोड़ रुपए तथा अवसंरचना पर** 104.67 **करोड़ रुपए शामिल हैं**
(ii) **चारदीवारी, कंक्रीट की सड़कें, स्टार्म वाटर ड्रेन, प्रशासनिक ब्लाक (कस्टम, बैंक, यूटिलिटी प्रदाताओं का कार्यालय सहित), बिक्री एवं विपणन कार्यालय, टोल बूथ के इंस्टालेशन के साथ गेट हाउस इंट्री, लैंड स्केपिंग, निर्माण के लिए मूल अवसंरचना की उपलब्धता आदि का कार्य पूरा हो गया है।**
(iii) **यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा एसईजेड यूनिटें स्थापित करने के लिए दो परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है।**

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xxvi) गोपालपुर, गंजम जिला, उड़ीसा में बहु उत्पाद्य एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक को 18 जून, 2007 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के 4 विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 17 जून, 2014 तक वैध था।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) चारदीवारी का 90 प्रतिशत निर्माण पूरा हो गया है
(ii) संपर्क सड़कों का विकास हो चुका है
(iii) आवश्यक सांविधिक स्वीकृतियों के बाद एसईजेड क्षेत्र से बाहर 800 करोड़ रुपए मूल्य की एंकर परियोजनाओं के निर्माण का कार्य चल रहा है।
(iv) निर्माण विद्युत एवं पानी उपलब्ध है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने 6 माह की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xxvii) दीमापुर, नागालैंड में बहु उत्पाद्य एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 जुलाई, 2013 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एचएन कंपनी का अनुरोध

26 जुलाई 2007 को विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 17 जून, 2014 तक वैध था।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने बताया है कि चारदीवारी के निर्माण, संपर्क, विद्युतीकरण तथा जलापूर्ति एवं स्टार्म वाटर के प्रबंधन के लिए आयोजना शुरू की गई है तथा विकसित योजनाओं के अनुसार निष्पादित की जाएगी। निवेशकों तथा चारदीवारी की भूमि से संबंधित कुछ मुद्दे थे जिन्हें हल कर लिया गया है तथा अब परियोजना के कार्यान्वयन में प्रत्याशित प्रगति प्राप्त की जाएगी।

विकास आयुक्त ने 30 जुलाई 2015 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने पूर्वोत्तर राज्य के मामले के रूप में इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 62.2 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 12 मार्च 2013 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मारसंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी

(जयपुर) लिमिटेड द्वारा लाइट इंजीनियरिंग के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए उपर्युक्त यूनिट को 13 मार्च, 2009 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 4 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 12 मार्च, 2014 तक थी।

यूनिट ने 12 मार्च, 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने सनदी इंजीनियर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें बताया गया है कि कारखाना भवन का निर्माण पूरा हो गया है तथा खरीदे गए प्लांट एवं मशीनरी को खड़ा करने का कार्य चल रहा है। यूनिट ने यह भी सूचित किया है कि उत्पादन शुरू करने के लिए सबसे आवश्यक भाग अर्थात 100 केवीए के लोड के लिए विद्युत कनेक्शन जिसके लिए उन्होंने 14 अक्टूबर 2013 को आवेदन किया था, प्राप्त नहीं हुआ है।यूनिट ने यह भी सूचित किया है कि बहुत शीघ्र विद्युत कनेक्शन प्राप्त हो जाने की उम्मीद है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(ii) 29 मार्च 2013 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गिरनार साफ्टवेयर (एसईजेड) प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा लाइट इंजीनियरिंग के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

साफ्टवेयर विकास, साफ्टवेयर सोल्यूशंस, बीपीओ सेवाओं, डाटा प्रोसेसिंग, साफ्टवेयर उत्पादों तथा अन्य आईटी इनेबल सेवाओं के लिए 30 मार्च 2010 को उपर्युक्त यूनिट को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 3 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 29 मार्च, 2014 तक थी।

यूनिट ने 30 मार्च 2014 से 15 अप्रैल 2014 तक, जब 30 अप्रैल 2014 को पहला बीजक तैयार किया गया था, एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। प्रथम आकलित शिपिंग बिल / बीजक की तिथि से एसईजेड यूनिट द्वारा प्रचालन आरंभ किए जाने की तिथि परिवर्तित की गई है। इस प्रकार इस मामले में 30 मार्च 2014 (एलओपी की वैधता अवधि समाप्त होने की तिथि) से 30 अप्रैल 2014 (प्रथम बीजक की तिथि) की मध्यवर्ती अवधि के लिए एलओए को पुन: वैध करने की आवश्यकता है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(iii) 30 जून, 2014 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेघमणि यूनीचेम एलएलपी जो दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

दाहेज एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए उपर्युक्त यूनिट को 26 सितंबर, 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 5 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 30 जून, 2014 तक थी।

यूनिट ने 30 जून, 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने परियोजना के लिए भूमि / चारदीवारी, जल कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त कर ली है / पूरी कर ली है तथा कारखाना भवन का लगभग 85

प्रतिशत निर्माण पूरा हो गया है। यूनिट ने भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी, उपकरण तथा अवसंरचना के लिए 38.90 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

यूनिट ने यह भी बताया है कि वे परियोजना से संबंधित सभी कार्य 31 दिसंबर 2014 तक पूरा कर लेंगे तथा 6 माह तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने पुन: छ: माह की अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर 2014 तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(iv) 15 अक्टूबर 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) जो भडूच गुजरात में दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित बहुत उत्पाद्य एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एचडीपीई, एलएलडीपीई, पीपी, स्टाइरेन बुटाडीन रबर (एसबीआर) स्टाइरेन, हाइड्रोजेनेटेड पाइरोलिसिस गैसोलीन (एचपीजी) तथा कार्बन ब्लैक फीड स्टाक (सीबीएफएस) के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए 17 अक्टूबर 2017 को उपर्युक्त यूनिट को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 6 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 15 अक्टूबर, 2014 तक है।

यूनिट ने 15 अक्टूबर 2015 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

यूनिट ने सूचित किया है कि दिसंबर 2008 में 16 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों को संयुक्त संविदाएं प्रदान की गई थीं तथा शुरू में 48 माह में परियोजना को पूरा करने की परिकल्पना थी। तथापि, बाजार की स्थितियों में परिवर्तन के कारण उनको पोलिमर यूनिटों के कनफिगरेशन में परिवर्तन करना पड़ा। इसके अलावा उनके तीन परियोजना ठेकेदारों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा और परियोजना पूरी करने की गति तेज करने के लिए उनके ठेकेदार को यूनिट द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। अब उन्होंने फरवरी 2015 तक संपूर्ण परिसर को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

यूनिट ने 28 मई 2014 तक की स्थिति के अनुसार दाहेज एसईजेड में उक्त परियोजना के लिए 18492.64 रुपए का निवेश किया है तथा 187 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया है।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(v) 31 मार्च 2014 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स रामदेव केमिकल इंडस्ट्रीज जो भडूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

पिगमेंट ब्लू 15:3, 15:4 तथा पिगमेंट थैलोसिनाइन क्रूड के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए 1 दिसंबर 2008 को उपर्युक्त यूनिट को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 5 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 31 मार्च, 2014 तक है।

अब यूनिट ने 31 मार्च 2014 के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए अपने एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने यूनिट स्थापित करने से जुड़े विभिन्न अनुमोदन / स्वकृतियां प्राप्त कर ली है तथा कारखाना भवनों के निर्माण, प्लांट एवं मशीनरी के प्रापण के लिए 8 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

यूनिट समय सीमा के अंदर उत्पादन इसलिए शुरू नहीं कर सकी क्योंकि उनको एक अनुमोदित उत्पाद अर्थात पिगमेंट थैलोसिनाइन क्रूड के लिए अपेक्षित पर्यावरणीय अनुमोदन / स्वीकृतियां प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रयोगशाला पैमाने में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित नए उत्पादन रूट के साथ जुलाई 2013 में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अपेक्षित पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर ली है, इस समय स्थानीय कॉपर थैलोसिनाइन क्रूड (सीपीसी) उद्योग द्वारा इस उत्पादन रूट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित नए उत्पादन रूट के लिए उनको प्लांट एवं मशीनरी की उपयुक्त ढंग से डिजाइनिंग करनी होगी जिसे लागू करने में लंबा समय लगेगा।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(vi) 5 अगस्त 2014 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) लिमिटेड जो सी2-सी3 प्लांट है जो भडूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

इथेन सी2, प्रोपेन सी3, बुटेन सी4 तथा लीन एनएनजी के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए उपर्युक्त यूनिट को 6 मार्च, 2007 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 6 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 5 अगस्त, 2014 तक है।

अब यूनिट ने 5 अगस्त 2014 के बाद 8 माह की अगली अवधि के लिए अर्थात 31 मार्च 2015 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट प्लांट के लिए अवसंरचना कार्य पूर्ण कर चुकी है तथा कमिशनिंग के लिए तैयार है। यूनिट ने 922.76 करोड़ रुपए का निवेश किया तथा एसईजेड में 147 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया है।

यूनिट ने बताया है कि फीड एलएनजी पर दोहरा सीमा शुल्क लगाए जाने तथा एलएनजी के सिकुड़ने के विरुद्ध पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा घरेलू गैस के आवंटन से संबंधित समस्याओं के कारण उत्पादन शुरू नहीं हो सका। अब समस्याओं का समाधान हो गया है तथा कमिशनिंग के लिए प्लांट को तैयार किया जा रहा है।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने पुन: 8 माह की अवधि के लिए अर्थात 31 मार्च 2015 तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(vii) 29 मई 2014 के बाद अनुमति पत्र एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गोदरेज एवं बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जो भडूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

प्रक्रिया उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों जैसे कि कालम, रिएक्टर, वेजल हीट एक्सचेंजर, ट्रे एवं टावर इंटरनल, रिएक्टर इंटरनल, वेस्ट हीट बॉयलर के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए 30 मई 2007 को उपर्युक्त यूनिट को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 6 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 29 मई, 2014 तक थी।

परियोजना की वर्तमान स्थिति :

(i) 82.58 **करोड़ रूपए का निवेश किया गया है**

(ii) **प्लॉट जेड**-90 **की चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है**

(iii) **प्लेट बेंडिंग मशीन खरीदी गई है जिसकी लागत** 26 **करोड़ रुपए है**

(iv) **प्लांट एवं मशनरी के निर्माण के लिए निविदाएं निकाली गई हैं**

(v) **चरण** 1 **(वाणिज्यिक गतिविधियों की शुरुआत)** 1 **मई** 2015 **तक पूरा हो जाएगा।**

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(viii) 12 मार्च 2014 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अवेस्टा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए उपर्युक्त यूनिट को 26 **नवंबर**, 2009 **को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को** 4 **विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि** 12 **मार्च**, 2014 **तक थी।**

यूनिट ने 12 **मार्च**, 2014 **के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

यूनिट ने निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियां पूरी कर ली है तथा सनदी इंजीनियर का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। यूनिट ने बताया है कि एसईजेड में और निर्माण पर गुजरात के माननीय उच्च न्यालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण वे अपनी परियोजना पूरी नहीं कर सके।

विकास आयुक्त, एपीएसईजेड ने एक साल तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए प्रस्तुत किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(ix) 22 मई 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अडानी विल्मर लिमिटेड जो मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में दालों के विनिर्माण / प्रोसेसिंग तथा व्यापार के लिए अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

दालों के विनिर्माण / प्रोसेसिंग तथा ट्रेडिंग के लिए उपर्युक्त यूनिट को 23 **मई**, 2011 **को एलओपी प्रदान किया गया था। विकासक को** 2 **विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता** 22 **मई**, 2014 **को समाप्त हो गई है।**

अब यूनिट के लिए एसईजेड नियमावली 2006 **के नियम** 19 (4) **के दूसरे परंतुक की शर्तों में प्रावधान के अनुसार निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियों के पूरा होने के अभाव में चौथे वर्ष के लिए तथा इसके बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है।**

यूनिट ने बताया है कि वे 9 **मई** 2012 **से साइट पर निर्माण करने में असमर्थ हैं जब गुजरात उच्च न्यायालय ने एपीएसईजेड के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में एपीएसईजेड के सभी निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया।**

विकास आयुक्त, एपीएसईजेड ने यूनिट के अनुरोध पर अनुकूल ढंग से विचार करने की सिफारिश की है (अनुबंध 1)**।**

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(x) 30 सितंबर, 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में स्टर्लिंग एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

जीलेटिन एवं डिकैल्सियम फॉस्फेट के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 4 सितंबर, 2009 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 4 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 30 सितंबर, 2014 तक है।

अब यूनिट ने एक साल तक एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने सूचित किया है कि कुछ वाणिज्यिक अत्यावश्यकताओं के कारण एसईजेड यूनिट के लिए परियोजना कार्यान्वयन में विलंब हुआ, जिसकी वजह से एसईजेड यूनिट के लिए कार्यान्वयन अनुसूची लंबी हो गई है।

यूनिट ने मई, 2014 तक 873.86 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यूनिट ने निर्माण सहित दो तिहाई से अधिक गतिविधियों को भी पूरा कर लिया है। उम्मीद है कि यूनिट 2014 की चौथी तिमाही में उत्पादन करने लगेगी।

विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(xi) 31 मार्च, 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हैंगर्स प्लस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, चेन्नई, तमिलनाडु की एक यूनिट है, का अनुरोध

क्लोथ हैंगर के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 28 मार्च, 2007 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 6 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 31 मार्च, 2014 तक है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति :

(i) अवसंरचना विकास के 90 प्रतिशत कार्य पूरे हो गए हैं
(ii) परियोजना पर 12 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है
(iii) नवंबर 2014 के अंत तक यूनिट द्वारा अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने की उम्मीद है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(xii) 31 मार्च 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पीएंडजे क्रिटेकेम प्राइवेट लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में दाहेज द्वारा विकसित बहुत उत्पद्र एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

सिगयूनिट पी1, मैग्नीशियम सिलिकेट, हाइड्रोएलकाइट तथा एल्युमिनियम आक्साइड के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए उपर्युक्त यूनिट को 26 सितंबर, 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 5 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 31 मार्च, 2014 तक है।

यूनिट ने बताया है कि गैस की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण उन्होंने ईंधन में परिवर्तन कर दिया तथा कोल फायर सिस्टम अपनाने का विकल्प चुना है और इस प्रकार प्लांट की डिजाइन और लेआउट में परिवर्तन करना पड़ा जिसमें समय लगा और परियोजना विलंबित हुई।

अब यूनिट ने परियोजना को पूरा करने की समय सीमा प्रदान की है तथा वैधता अवधि बढ़ाए जाने की तिथि से 9 माह के अंदर अर्थात मार्च 2015 तक वाणिज्यिक ट्रायल / वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की प्रतिबद्धता की है।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने एक साल तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(xiii) 16 जुलाई 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जेके इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 3, पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 18 जुलाई, 2011 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा 2 विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 16 अगस्त 2014 तक वैध है।

यूनिट ने बताया है कि एमआईडीसी ने 8 जून 2013 को उनको 13200 वर्गमीटर का कब्जा प्रदान किया। यूनिट ने परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के लिए निम्नलिखित कारणों का हवाला दिया है :

(i) प्लाट पर अतिक्रमण था जिसे 2013 के पूर्वार्द्ध के दौरान एमआईडीसी द्वारा हटाया गया।
(ii) एमआईडीसी द्वारा अन्य बुनियादी अवसंरचना जैसे कि बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन आदि उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
(iii) आवंटित क्षेत्र में परिवर्तन के कारण एमआईडीसी पट्टा करार नहीं कर सका।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(xiv) 1 फरवरी 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ट्रायो टेकनोलॉजी जो राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 3, पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

आईटी / आईटी इनेबल सेवाओं के लिए उपर्युक्त यूनिट को 2 फरवरी, 2011 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा 2 विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 1 फरवरी 2014 तक वैध था।

अब यूनिट के लिए एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक की शर्तों में प्रावधान के अनुसार निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियों के पूरा होने के अभाव में चौथे वर्ष के लिए तथा इसके बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है।

यूनिट ने बताया है कि वन विभाग की स्वीकृति 20 जनवरी 2014 को प्राप्त हुई तथा इसके बाद ही यूनिट साइट पर निर्माण कार्य शुरू कर सकी।

परियोजना की वर्तमान स्थिति :

(i) आरसीसी स्ट्रक्चरल वर्क के निर्माण के लिए वर्क आर्डर 15 नवंबर 2013 को दिया गया।

(ii) फूटिंग एवं कालम, इनवर्टेड टी बीम तथा हॉलो कोर स्लैब के लिए प्रीकास्ट एलीमेंट के निर्माण का कार्य पूरे जोरों पर है तथा अधिकांश प्रीकास्ट एलीमेंट साइट पर डिलीवरी के लिए तैयार हैं, उनके सनदी इंजीनियर द्वारा इसका निरीक्षण एवं प्रमाणन किया जा चुका है।

(iii) निर्माण कार्य, लेवलिंग तथा अन्य संबद्ध गतिविधियां शुरू करने के लिए एसईजेड साइट तैयार है।

(iv) पेड़ों की शिफ्टिंग तथा पुन: वन रोपण के संबंध में वन विभाग से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर यूनिट ने पेड़ों को शिफ्ट करने पुन: वन रोपण का कार्य पूरा कर लिया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(xv) 4 अगस्त 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड जो राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 3, पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 5 फरवरी, 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 5 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 4 अगस्त, 2014 तक है। यूनिट ने एक साल तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने बताया है कि श्रम बल की कमी, संसदीय चुनावों के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ। इसके अलावा एमआईडीसी से भवन समाप्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विलंब हुआ क्योंकि वे आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर उत्पादन शुरू नहीं कर सकते हैं।

यूनिट ने बताया है कि 70 प्रतिशत तक निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं। यूनिट को अनुमान है कि अप्रैल 2015 तक संपूर्ण साइट तैयार हो जाएगी तथा परियोजना के शुरू हो जाने की संभावना है।

यूनिट ने भूमि पर 36.89 करोड़ रुपए तथा परियोजना निष्पादन लागत पर 211.73 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(xvi) 01 सितंबर 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एलायड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड जो प्लाट नंबर 22/1, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 3, पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 2 सितंबर, 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 01 सितंबर, 2013 तक थी। यूनिट ने एक साल तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

अब यूनिट के लिए एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक की शर्तों में प्रावधान के अनुसार निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियों के पूरा होने के अभाव में चौथे वर्ष के लिए तथा इसके बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है।

यूनिट ने बताया है कि विद्युत, पानी, सड़क आदि जैसी अवसंरचना का अभाव है तथा परियोजना शुरू करना कठिन है।

यूनिट ने बताया है कि निम्नलिखित कारणों से निर्माण में विलंब हुआ है :

(i) **विद्युत, पानी तथा बुनियादी अवसंरचना के अभाव में कब्जा लिया गया क्योंकि एमआईडीसी ने कब्जा लेने पर जोर दिया।**

(ii) **कब्जा लेने के बाद भी किसानों के अतिक्रमण के कारण वे विकास कार्य नहीं कर सके।**

(iii) **6 से 8 माह बाद ही अवसंरचना, विद्युत तथा किसानों के अतिक्रमण के मुद्दों का समाधान हो सका तथा उस समय तक एलओए की वैधता अवधि भी समाप्त हो गई।**

यूनिट ने प्लाट पर 5.86 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा यूनिट अपनी परियोजना में 9 से 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी। वे दो साल के अंदर उत्पादन आरंभ होने की उम्मीद कर रहे हैं।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(xvii) 01 सितंबर 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एलायड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड जो प्लाट नंबर 13/5, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 3, पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 2 सितंबर, 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। विकास आयुक्त द्वारा यूनिट को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 01 सितंबर, 2013 तक थी। यूनिट ने एक साल तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

अब यूनिट के लिए एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक की शर्तों में प्रावधान के अनुसार निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियों के पूरा होने के अभाव में चौथे वर्ष के लिए तथा इसके बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है।

यूनिट ने बताया है कि विद्युत, पानी, सड़क आदि जैसी अवसंरचना का अभाव है तथा परियोजना शुरू करना कठिन है।

यूनिट ने बताया है कि निम्नलिखित कारणों से निर्माण में विलंब हुआ है :

(iv) **विद्युत, पानी तथा बुनियादी अवसंरचना के अभाव में कब्जा लिया गया क्योंकि एमआईडीसी ने कब्जा लेने पर जोर दिया।**

(v) **कब्जा लेने के बाद भी किसानों के अतिक्रमण के कारण वे विकास कार्य नहीं कर सके।**

(vi) **6 से 8 माह बाद ही अवसंरचना, विद्युत तथा किसानों के अतिक्रमण के मुद्दों का समाधान हो सका तथा उस समय तक एलओए की वैधता अवधि भी समाप्त हो गई।**

यूनिट ने प्लाट पर 5.86 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा यूनिट अपनी परियोजना में 9 से 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी। वे दो साल के अंदर उत्पादन आरंभ होने की उम्मीद कर रहे हैं।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(xviii) 10 नवंबर 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स यश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर 23/1, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 3, पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 10 नवंबर, 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 09 नवंबर, 2013 तक थी।

अब यूनिट के लिए एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक की शर्तों में प्रावधान के अनुसार निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियों के पूरा होने के अभाव में चौथे वर्ष के लिए तथा इसके बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है।

यूनिट ने बताया है कि निम्नलिखित कारणों से निर्माण में विलंब हुआ है :

(i) **एमआईडीसी में विद्युत, पानी आदि जैसी बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण परियोजना विलंबित हुई।**

(ii) **बरसाती पानी की पाइपें प्लाट पर पड़ी थीं तथा बरसात के मौसम के दौरान काफी पानी बह रहा था और कई बार अनुरोध के बावजूद किसी नियोजित पाइप लाइन के माध्यम से इस पानी को ड्रेन करने के लिए एमआईडीसी द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे भवन की डिजाइन शुरू करना का प्लान प्रभावित हो रहा था।**

(iii) **सड़क पर सी-डी पुलिया थी जिसकी ओपनिंग यूनिट को आवंटित प्लाट के उत्तर पूर्वी कार्नर में थी। इस पुलिया से स्टार्म वाटर प्लाट के अंदर मनमाने ढंग से बह रहा था और दक्षिण पूर्व कार्नर की ओर बह रहा था जिसकी वजह से यूनिट को आवंटित भूमि के ढेर सारे क्षेत्र का कटाव हो रहा था। यूनिट इस पानी को ड्रेन करने के लिए एमआईडीसी द्वारा व्यवस्था किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। यह व्यवस्था करने में एमआईडीसी ने लगभग एक साल का समय ले लिया।**

यूनिट ने अब तक 3.68 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगले 12-15 महीनों में यूनिट के क्रियाशील हो जाने की संभावना है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(xix) 4 जुलाई, 2014 के बाद उनके एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अर्टुरा फर्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड जो चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स श्री साईं सिटी के एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 5 जुलाई, 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 3 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 4 जुलाई, 2014 तक थी।

विकास आयुक्त, श्री साईं सिटी एसईजेड ने सूचित किया है कि :

(i) **यूनिट ने बैंक से मियादी ऋण संस्वीकृत होने के बाद जून 2013 में फैक्ट्री का निर्माण शुरू किया है।**

(ii) **यूनिट ने उद्योगों, वाणिज्य कर, विद्युत, कारखाना, फायर सर्विस, सेवा कर विभागों से सभी सांविधिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।**

(iii) **सनदी इंजीनियर के प्रमाण पत्र के अनुसार 75 प्रतिशत से अधिक सिविल कार्य पूरा हो गया है।**

(iv) **परियोजना पर 4.58 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।**

विकास आयुक्त, श्री साईं सिटी एसईजेड ने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मद संख्या 62.3 : अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुष्टि के लिए मामले

(i) 12 जून 2014 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लुपिन लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

क्रीम / मलहम / जेल / लोशन के रूप में एंटी अस्थमा, डर्मेटोलॉजी तथा अन्य रोगहर फार्मुलेशन, मीटर्ड ड्रग इनहेलर तथा ड्राई पाउडर इनहेलर के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए उपर्युक्त यूनिट को 13 जून 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को समय समय पर 3 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं तथा पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 12 जून, 2014 तक वैध है।

यूनिट ने 12 जून, 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने पट्टा पर धारित भूमि पर 4.33 करोड़ रुपए और सिविल निर्माण पर 28.06 करोड़ रुपए का व्यय किया है अर्थात 45.38 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के विरुद्ध 32.39 करोड़ रुपए का व्यय किया है जो प्रस्तावित निवेश का 71.37 प्रतिशत है। इसके अलावा यूनिट ने 90 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के विरुद्ध प्लांट एवं मशीनरी आदि पर 37.96 करोड़ रुपए का व्यय किया है जो प्रस्तावित निवेश का 42.18 प्रतिशत है। परियोजना में अब तक कुल निवेश 51.9 प्रतिशत है। यूनिट ने सनदी इंजीनियर का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है जिसके अनुसार यूनिट ने भूमि, साइट विकास तथा सिविल निर्माण के तहत 71.37 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है।

यूनिट ने बताया है कि परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब का मुख्य कारण यह है कि विभिन्न देशों में विनियामक प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। प्राधिकरणों से अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही, जिसमें सामान्यतया 24 से 48 महीने लगते हैं, यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हो सकता है। यूनिट ऐसे अनुमोदनों की प्रतीक्षा कर रही है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में वाणिज्य विभाग में फाइल पर प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा 12 जून 2015 तक यूनिट को विस्तार प्रदान किया गया है।

विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की थी।

तद्नुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुष्टि के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 62.4 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में विशिष्ट अधिकृत प्रचालनों के साथ सह विकासक के लिए मैसर्स जीएसपीसी एलएनजी लिमिटेड का अनुरोध

6456.3349 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स जीएसपीसी एलएनजी लिमिटेड (जीएलएल) जो गुजरात सरकार तथा गुजरात सरकार उपक्रम की संयुक्त उद्यम कंपनी है, ने विशिष्ट अवसंरचना सुविधाओं अर्थात एलएनजी टर्मिनल, भंडारण तथा पुन: गैसीकरण

सुविधाओं एवं संबद्ध सुविधाओं जैसी विशिष्ट अवसंरचना सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में 28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 14 अगस्त, 2013 उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा भी उपलब्ध कराया गया है। 30 साल के लिए पट्टा दिनांक 17 फरवरी 2001 करके विकासक ने गुजरात सरकार से एसईजेड भूमि का अधिग्रहण किया। इस प्रकार पट्टा अवधि के विस्तार के लिए प्रावधान के साथ वर्तमान पट्टा अवधि 18 साल है। लागू एसईजेड अनुरक्षण प्रभार के साथ 100 रुपए प्रति वर्गमीटर के वार्षिक पट्टा किराया का प्रस्ताव किया गया है।

विकासक ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित विशिष्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए पुन: अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथा लागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / क्षमता (मेगावाट में)
1.	एलएनजी रिसीविंग टर्मिनल			
(क)	जेट्टी प्लेटफार्म	1	लागू नहीं	1200
(ख)	ब्रेस्टिंग एंड मूरिंग डॉल्फिन	10	लागू नहीं	1060
(ग)	संपर्क ढांचा (रोडवेज और पाइपिंग सहित)	1	लागू नहीं	13500
2.	एलएनजी भंडारण टैंक	2	लागू नहीं	64000
3.	पुन: गैसीकरण की सुविधाएं	1	लागू नहीं	216000

8 नवंबर 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के मामले पर विचार किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर जांच के बाद मामले में निर्णय लिया जाएगा।

इसके बाद डीजीईपी ने अग्रेतर चर्चा के लिए अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्ताव को लेने का अनुरोध किया था। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड की 61वीं बैठक में प्रस्ताव को पुन: लिया गया जिसमें प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

मैसर्स जीएसपीसी एलएनजी लिमिटेड ने सूचित किया है कि सीसीआई ने परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की है। मैसर्स जीएसपीसी एलएनजी लिमिटेड ने निम्नलिखित मुद्दे भी उठाए हैं :

(i) एलएनजी रिसीविंग टर्मिनल केवल पोर्ट एरिया में स्थापित किया जा सकता है। भारी निवेश की आवश्यकता के कारण ऐसे टर्मिनल प्रत्येक एसईजेड में स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, जहां मांग मौजूद है। यदि एक एसईजेड के क्षेत्र में अवसंरचना का निर्माण किया जाता है तथा उसी एसईजेड, अन्य एसईजेड के अन्य प्रयोक्ता तथा बाहरी एसईजेड के प्रयोक्ता इन सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं तो यह लाभप्रद होगा।

(ii) वे 1.3 एमएमटीपीए की मांग के साथ ओएनजीसी लिमिटेड (दाहेज एसईजेड), 1.1 एमएमटीपीए की मांग के साथ मंगलौर एसईजेड और 1.4 एमएमटीपीए की मांग के साथ टोरेंट एनर्जी लिमिटेड (दाहेज) एसईजेड के साथ चर्चा कर रहे हैं ताकि उनकी एसईजेड आधारित गैस मांग पूरी की जा सके। यह जीएसपीसी एलएनजी द्वारा 5 एमएमटीपीए क्षमता के लिए योजना में से 3.8 एमएमटीपीए का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा मुंद्रा एसईजेड तथा अन्य एसईजेड के क्षेत्रों में कोई नई एसईजेड यूनिट भी आ सकती है, जब जीएसपीसी एलएनजी टर्मिनल मुंद्रा एसईजेड में स्थापित हो जाएगा।

मैसर्स जीएसपीसी एलएनजी लिमिटेड ने एपीएसईजेड लिमिटेड में सह विकासक तथा अधिकृत प्रचालनों के रूप में अनुमोदन के लिए अपने अनुरोध पर विचार करने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्तावों की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) इनफोपार्क, केरल द्वारा इनफोपार्क एसईजेड (चरण 2), कुन्नाथौनाडु तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ट्रांस एशियन शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

39.6281 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स ट्रांस एशियन शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 2.06 एकड़ के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने तथा आईटी सेक्टर के उद्योग का विकास करने के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 22 अप्रैल, 2014 उपलब्ध कराया गया है। पट्टा विलेख दिनांक 26 मार्च, 2014 भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 90 साल है। इनफोपार्क को देय कुल पट्टा प्रीमियम 2,55,50,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 5,26,33,000 रुपए है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 3, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स आरएमजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

223.56 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स आरएमजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवन एवं संबद्ध अवसंरचना के निर्माण तथा आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए स्थान के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 27 जनवरी, 2014 उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की प्रस्तावित अवधि 95 साल है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 62.5 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन के अनुमोदन के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड जो ग्राम मुसलगांव और गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्र एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

1011.264 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड अनुमोदित सह विकासक है तथा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र का विकास कर रहा है।

मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड को गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन के लिए 21 जून 2010 को अनुमति प्रदान की गई थी अर्थात कार्यपालकों एवं गैर कार्यपालकों लिए मकान, जीएम बंगला, अतिथि गृह तथा अन्य डुपलेक्स बंगला जिसमें लाइटिंग एवं विद्युत कार्य, क्षेत्र विकास, सड़क, ड्रेन, चारदीवारी, गेट कम्प्लेक्स, कम्युनिटी सेंटर, क्लब हाउस, हेल्थ सेंटर, स्वीमिंग पूल, एरिया लाइटिंग, सब स्टेशन डीजी सेट, पावर एवं टेलीफोन केबल की आपूर्ति एवं बिछाना, वाटर पंप हाउस, वाटर स्टोरेज टैंक, वाटर लाइन वितरण नेटवर्क, खेल का मैदान, बागवानी, पार्क एवं लान, निस्सारी शोधन संयंत्र, सीवेज शोधन संयंत्र पैकेज शामिल हैं तथा अनुमोदित क्षेत्रफल 1,00,000 वर्गमीटर है।

सह विकासक ने 1,00,000 वर्गमीटर की अनुमोदित सीमा के साथ अधिकृत प्रचालनों में कामर्सियल कम्प्लेक्स को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने 1,00,000 वर्गमीटर की अनुमोदित सीमा के अंदर एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / क्षमता (मेगावाट में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कामर्सियल कॉम्प्लेक्स	लागू नहीं	लागू नहीं	1692.293 वर्गमीटर

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है (अनुबंध 2)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) शुरू किए जाने वाले अधिकृत प्रचालनों के अनुमोदन के लिए मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो पुथुव्यपीन, एर्नाकुलम, केरल में मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा विकसित किए जा रहे पोर्ट आधारित एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विकासक को 18 अप्रैल 2006 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब उपर्युक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। अनुमोदन दिनांक 3 मई 2007 के माध्यम से सरकार ने विकासक द्वारा संचालित किए जाने के लिए निम्नलिखित प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की है :

(i) पुथुव्यपीन में मौजूदा जीआईडीए सड़क से एसईजेड क्षेत्र को जोड़ने वाली सीधी सड़क
(ii) एसईजेड क्षेत्र में आंतरिक सड़क का प्रावधान करना और
(iii) एसईजेड क्षेत्र में आंतरिक ड्रेन का प्रावधान करना तथा मुख्य ड्रेनेज सिस्टम में सुधार कार्य करना

एसईजेड 25 अगस्त 2013 को क्रियाशील हो गया है।

मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोचीन को उपर्युक्त एसईजेड में एलपीजी के लिए भंडारण की सुविधाओं का विकास करने, इंटरकनेक्शन पाइप लाइन बिछाने तथा एक इनलैंड एलपीजी कंटेनर (टैंकर) स्टेशन स्थापित करने के लिए 17 जून 2011 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया है।

मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड में एलपीजी के लिए भंडारण की सुविधाओं का विकास करना, इंटरकनेक्टिंग पाइप लाइन बिछाना और एक इनलैंड एलपीजी कंटेनर (टैंकर) स्टेशन स्थापित करना जैसी अनुमोदित सुविधाएं प्रदान करने के सिलसिले में पुथुव्यपीन एसईजेड में संचालित करने के लिए प्रस्तावित गतिविधियों की सूची प्रस्तुत की है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 50 दिनांक 15 मार्च 2010 के साथ संलग्न अधिकृत प्रचालनों की समेकित सूची से इस सूची का सत्यापन किया है। अनुबंध 3 के अनुसार इन मदों के लिए अनुमोदन बोर्ड से अनुमोदन की आवश्यकता है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है (अनुबंध 3)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) बहु प्रयोक्ता तरल टर्मिनल (एमयूएलटी) के विकास की अतिरिक्त गतिविधि के अनुमोदन के लिए मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो पुथुव्यपीन, एर्नाकुलम, केरल में मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा विकसित किए जा रहे पोर्ट आधारित एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विकासक को 18 अप्रैल 2006 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब उपर्युक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। अनुमोदन दिनांक 3 मई 2007 के माध्यम से सरकार ने विकासक द्वारा संचालित किए जाने के लिए निम्नलिखित प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की है :

(i) पुथुव्यपीन में मौजूदा जीआईडीए सड़क से एसईजेड क्षेत्र को जोड़ने वाली सीधी सड़क
(ii) एसईजेड क्षेत्र में आंतरिक सड़क का प्रावधान करना और
(iii) एसईजेड क्षेत्र में आंतरिक ड्रेन का प्रावधान करना तथा मुख्य ड्रेनेज सिस्टम में सुधार कार्य करना

यह एसईजेड 25 अगस्त 2013 को क्रियाशील हो गया है।

मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोचीन को उपर्युक्त एसईजेड में एलपीजी के लिए भंडारण की सुविधाओं का विकास करने, इंटरकनेक्शन पाइप लाइन बिछाने तथा एक इनलैंड एलपीजी कंटेनर (टैंकर) स्टेशन स्थापित करने के लिए 17 जून 2011 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया है।

अब विकासक ने पोत परिवहन मंत्रालय के अनुमोदन से पोर्ट आधारित एसईजेड में बहु प्रयोक्ता तरल टर्मिनल (एमयूएलटी) के विकास का कार्य इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा है। सीपीटी तथा आईओसीएल के बीच परियोजना करार पर 4 अप्रैल 2014 को हस्ताक्षर किया गया। विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने पुथुव्यपीन एसईजेड में बहु प्रयोक्ता तरल टर्मिनल (एमयूएलटी) के विकास की एक अतिरिक्त गतिविधि का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) एलपीजी, क्रूड, पीओएल उत्पादों, बंकर, केमिकल तथा अन्य तरल को हैंडल करने के लिए मुख्य जेट्टी का निर्माण जो एसईजेड के सह विकासक मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
(ii) बंकर की हैंडलिंग के लिए बार्ज लोडिंग जेट्टी का निर्माण जो कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

मुख्य जेट्टी की क्षमता 6 लाख टन एलपीजी सहित 4.52 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी तथा 15 मीटर तक के ड्राविंग ड्राफ्ट वाले 230 मीटर तक के एलओए के साथ 80000 डीडब्ल्यूटी तक के टैंकर हैंडल करेगा। इस सुविधा को मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एलपीजी भंडारण सुविधा तथा एसईजेड में 108

एकड़ के टैंक फार्म के रूप में प्रयुक्त करने का इरादा है, जिसका प्रयोग बंकर नामक विभिन्न प्रकार के पोत ईंधन के भंडारण एवं मिश्रण के लिए किया जाएगा। इन बैंकर की आपूर्ति कोचीन बंदरगाह पर आने वाले वेजल को पाइप लाइन के माध्यम से या बार्ज के माध्यम से की जाएगी जिसे समीपवर्ती बार्ज बर्थ पर हैंडल किया जाएगा। कार्यान्वयन व्यवस्था के अनुसार मुख्य जेट्टी पर केवल एलपीजी को हैंडल करने के लिए अपेक्षित सुविधाओं और सेवाओं का प्रावधान, प्रचालन, अनुरक्षण एवं रखरखाव मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा तथा केवल गैर एलपीजी हैंडलिंग के लिए अपेक्षित सुविधाओं एवं सेवाओं का प्रावधान, प्रचालन, अनुरक्षण एवं रखरखाव विकासक द्वारा किया जाएगा।

प्रस्ताव की अनुमानित लागत 240 करोड़ रुपए है जो विकासक एवं सह विकासक द्वारा संयुक्त रूप से वहन की जाएगी।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है (अनुबंध 4)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 62.6 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेडएल)	मुंद्रा तालुक, जिला कच्छ, गुजरात	बहु उत्पाद	1856.5335	हां	हां	*

*विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के प्रस्ताव पर 30 अगस्त 2013 को आयोजित एसईजेड पर अनुमोदन बोर्ड की 59वीं बैठक में विचार किया गया तथा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। गुजरात सरकार ने भी अनुमोदन प्रदान करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, विकास आयुक्त, केएएसईजेड / एपीएसईजेड ने प्रस्तावित एसईजेड के लिए स्वतंत्र प्रवेश मार्ग आदि से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए हैं। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि गृह मंत्रालय ने अभी तक अपनी टिप्पणियां प्रदान नहीं की है तथा कहा कि अगले 30 दिन के अंदर टिप्पणियां भेजी जाएं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 1856.5335 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मुंद्रा तालुक, जिला कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेडएल) के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व अनुमोदन बोर्ड ने वाणिज्य विभाग को बकाया मुद्दों की जांच करने तथा अनुमोदन बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति गठित करने का निदेश दिया।"

गृह मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

अनुमोदन बोर्ड के उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में विकास आयुक्त, केएएसईजेड की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया तथा उसे वाणिज्य विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। चूंकि समिति की रिपोर्ट दिनांक 15 अक्टूबर 2013 में कोई स्पष्ट अनुशंसा नहीं है इसलिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड से समिति की स्पष्ट अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। अब समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं (कार्यवृत्त दिनांक 22 नवंबर 2013)। समिति ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन अडानी पोर्ट एसईजेड लिमिटेड

(एपीएसईजेडएल) के प्रस्तावित नए एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए विकासक का अनुरोध प्रस्तुत करने का निर्णय लिया :

(i) विकास आयुक्त, एपीएसईजेडएल तथा सीमा शुल्क आयुक्त, कांडला के परामर्श से मौजूदा एसईजेड का निर्दिष्ट अधिकारी किसी राजस्व रिसाव से बचने के लिए अचूक प्रणाली तैयार करेगा तथा पुष्टि करेगा कि विकासक द्वारा प्रस्तावित तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि सामग्री का विपथन या राजस्व का लीकेज नहीं होगा / न्यूनतम होगा।

(ii) विकासक 5 साल की अवधि के अंदर प्रस्तावित फ्लाई ओवर का निर्माण करेगा। इस बीच विकासक को यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए उनके पास आवश्यक भूमि / अनुमति है।

(iii) विकासक प्रस्तावित एसईजेड में कोई अन्य कार्य शुरू करने से पूर्व मौजूदा एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के चारों ओर शेष बचे भाग में चारदीवारी का निर्माण पूरा करेगा। चारदीवारी द्वारा क्षेत्र की पूरी सुरक्षा तथा सड़कों / कोरिडोर तथा चारदीवारी के निर्माण के माध्यम से प्रस्तावित एसईजेड के तीन पॉकेटों के बीच समुचित संपर्क की व्यवस्था होने तक किसी भी यूनिट के लिए कोई एलओपी प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) क्रीक / सी को अवप्रेरित करने वाले क्षेत्र जहां चारदीवारी का निर्माण करना संभव नहीं है, में पर्याप्त सुरक्षा एवं विनियामक जनशक्ति के साथ समर्पित पेट्रोलिंग वेजल द्वारा पर्याप्त सामग्री सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए ताकि अचूक ढंग से क्षेत्र सुरक्षित हो सके।

(v) प्रस्तावित एसईजेड का प्रयोग मौजूदा पोर्ट आधारित एसईजेड के विस्तार के रूप में न करके निर्यात यूनिटों एवं गतिविधियों के लिए अकेले एसईजेड के रूप में किया जाना चाहिए। प्रस्तावित एसईजेड में संचालित की जाने वाली गतिविधियों या अवसंरचना को पोर्ट से संबंधित सेवाओं के लिए अनुमत नहीं किया जाना चाहिए।

(vi) कोई वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ करने से पूर्व विकासक द्वारा सीआरजेड का पूर्व अनुमोदन तथा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(vii) प्रस्तावित एसईजेड से चारों ओर से घिरे भूमि के भू-आबद्ध पाकेट तथा ऐसे स्थानों जहां वर्तमान में एसईजेड से होकर गुजरने के लिए स्थानीय मछुआरों / ग्रामीणों को मार्ग प्रदान किया गया है, पर भी सुरक्षा एवं कस्टम कार्मिक तैनात किए जाएंगे।

03 अप्रैल, 2014 को आयोजित 61वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष समिति की रिपोर्ट रखी गई। 3 अप्रैल 2014 को आयोजित 61वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय को यहां नीचे प्रस्तुत किया गया है :

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है जो संस्पर्शी एवं खाली पड़ी है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्तावित एसईजेड के लिए स्वतंत्र मार्ग तथा सुरक्षा से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जो विकास आयुक्त, केएएसईजेड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उठाई गई हैं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड को सुगठित प्रश्नावली के माध्यम से समिति के निष्कर्षों पर विकासक की राय प्राप्त करने का निदेश दिया। विकास आयुक्त प्रश्नावली पर विकासक के उत्तर को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसे इसके बाद विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।"

3 अप्रैल 2014 को आयोजित 61वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुसरण में विकासक ने सुगठित प्रश्नावली पर अपना जवाब प्रस्तुत किया है। सुगठित प्रश्नावली पर विकास आयुक्त की रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है। विकासक का जवाब तथा विकास आयुक्त, केएएसईजेड की रिपोर्ट अनुबंध 5 के रूप में संलग्न है।

विकासक का जवाब तथा विकास आयुक्त, केएएसईजेड की रिपोर्ट अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 62.7 : विविध मामले

(i) ग्राम सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में मैसर्स इंडिया बुल्स रियलटेक लिमिटेड (आईआरएल) द्वारा स्थापित किए जा रहे थर्मल पावर प्लांट के कोल हैंडलिंग सिस्टम के सामग्री हैंडलिंग उपकरण, रेलवे ट्रैक एवं साइडिंग के प्रयोग तथा यूरोतास इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ईआईएल) द्वारा क्लिंकर हैंडलिंग सिस्टम इंस्टाल करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध

मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो बहु उत्पाद्य एसईजेड की यूनिट है, को 1006.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 27 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड को 15 दिसंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था।

वर्तमान प्रस्ताव निम्नलिखित पर अनुमति के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड जो सह विकासक है, से है :

(i) **ड्यूटी पेड क्लिंकर के परिवहन और इसके बाद डीटीए में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट को क्लिंकर को ट्रांसफर करने के लिए उनकी ग्रुप कंपनी अर्थात मैसर्स यूरोतास इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित थर्मल पावर प्लांट के कोल हैंडलिंग सिस्टम के सामग्री हैंडलिंग उपकरण, रेलवे ट्रैक एवं साइडिंग का प्रयोग करना।**

(ii) **एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में यूरोतास इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा ड्यूटी एवं कर प्रदत्त सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करके डीटीए में स्थित सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट तक पूर्णत: कंप्यूटरीकृत नापतौल उपकरण / सिस्टम के साथ क्लिंकर हैंडलिंग सिस्टम / कनवेयर बेल्ट स्थापित करना।**

मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड ने निम्नलिखित औचित्य प्रदान किया है :

(i) **पर्यावरण स्वीकृति की अनुपालन संबंधी आवश्यकता - उड़न राख का उपयोग**
(ii) **सीमेंट प्लांट के लिए अपेक्षित क्लिंकर**
(iii) **भूमि की समस्या के कारण अलग रेलवे साइडिंग संभव नहीं है**
(iv) **अलग वैगन टिपलर, कनवेयर स्थापित करना लाजिस्टिक की दृष्टि से लाभप्रद नहीं है**

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए सह - विकासक का अनुरोध प्रस्तुत किया है (अनुबंध 6)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए मैसर्स डीएलएफ इनफो पार्क (पुणे) लिमिटेड जो राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेस 2, पुणे-57 में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकासक है, का अनुरोध

11.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकासक को 27 जून, 2008 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है।विकासक ने 12.028 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड की अधिसूचना के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड द्वारा 1 अप्रैल 2014 को विकासक के साइट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नोट किया गया कि एसईजेड की भूमि से 6.25 वर्गमीटर की जिला परिषद रोड (सार्वजनिक रास्ता) गुजर रही है जिससे एसईजेड का क्षेत्र 2 भूखंडों अर्थात पीएल-2 और प्लाट नंबर 29 में विभाजित हो रहा है। तथापि,

दो भूखंडों के मध्य अंडरपास का निर्माण करके सन्निकटता स्थापित की जा सकती है जिसके लिए विकासक सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर चुका है। एसईजेड की अधिसूचना के लिए वाणिज्य विभाग को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तथापि, एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 7 (3) के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड द्वारा सन्निकटता के मानदंडों में छूट प्रदान किए जाने के बाद भी अधिसूचना जारी की जा सकती है। नियम 7 (3) में यह उल्लेख है कि अनुमोदन बोर्ड खाली भूमि के रूप में चिह्नित क्षेत्रफल से संबंधित शर्त को छोड़कर मेरिट के आधार पर तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के साथ मामला दर मामला आधार पर एक या सभी शर्तों से छूट प्रदान कर सकता है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) एयरोस्पेस प्रोग्राम के लिए कस्टम ड्यूटी माफ करने के लिए मैसर्स टीएएल मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशंस लिमिटेड जो नागपुर में मिहान एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स टीएएल मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशंस लिमिटेड जो मिहान एसईजेड, नागपुर की यूनिट है, एयरोस्पेस विनिर्माण सुविधा प्रदान कर रहा है। उन्होंने भारतीय एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के अधिक मूल्य वाले भाग के विनिर्माण के लिए आर्डर प्राप्त किया है। यूनिट भारतीय रक्षा सेवा के लिए सुखोई 30 (भारतीय रक्षा विमान) के लिए पार्ट्स का विनिर्माण करना चाहती है। यह एचएएल द्वारा पहले से आयातित कच्चे माल के प्रापण द्वारा किया जाएगा, जिसे कस्टम अधिसूचना संख्या 39/96 दिनांक 23 जुलाई 1996 के तहत छूट प्रदान की गई है तथा टीएएल द्वारा एचएएल को अंतिम उत्पाद की डिलीवरी की जाएगी।

एचएएल के आर्डर को लागू करके टीएएल राष्ट्रहित की परियोजनाओं में भाग ले रहा है। प्रमुख बाधा सीमा शुल्क की छूट से जुड़ी है जिसके लिए टीएएल एसईजेड से अपील कर रहा है क्योंकि यह राष्ट्रहित से जुड़ा है। इसके अलावा अंतिम उत्पाद का प्रयोग भारत की रक्षा के लिए किया जाएगा।

भारतीय रक्षा परियोजना के लिए डीटीए क्षेत्र में यूनिट के लिए जॉब वर्क की अनुमति प्रदान करने के लिए छूट की आवश्यकता है। दूसरा, एचएएल को डिलीवर किए गए पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी के भुगतान से छूट।

विकास आयुक्त, एसईईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iv) मदर ऑफ पर्ल्स जो आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत प्रतिबंधित मद है, के प्रापण के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स यूनी-डिजाइन एलाइट ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड जो एसईईपीजेड एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स यूनी-डिजाइन एलाइट ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड को स्टडेड गोल्ड तथा प्लेटिनम ज्वैलरी के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए एलओए दिनांक 1 मार्च 2005 प्रदान किया गया है।

यूनिट ने डीटीए से मदर ऑफ पर्ल्स जो आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत प्रतिबंधित मद है तथा वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता है, के प्रापण के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि इस मद का आईटीएस (एचएस) कोड 96019020 है। यूनिट द्वारा आयात की जाने वाली मात्रा 5000 सीटीएस है जिसका मूल्य 18000 अमरीकी डालर है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि इस मामले में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, एयर कार्गो कम्प्लेक्स, मुंबई से एनओसी की आवश्यकता होगी।

विकास आयुक्त, एसईईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है (अनुबंध 7)।

यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) मदर ऑफ पर्ल्स जो आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत प्रतिबंधित मद है, के प्रापण के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स यूनी-डिजाइन ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 1) जो एसईईपीजेड एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स यूनी-डिजाइन ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड को प्लेन एवं स्टडेड गोल्ड ज्वैलरी, तथा प्लेन एवं स्टडेड प्लेटिनम ज्वैलरी के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए एलओए दिनांक 17 सितंबर 1993 प्रदान किया गया है।

यूनिट ने डीटीए से मदर ऑफ पर्ल्स जो आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत प्रतिबंधित मद है तथा वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता है, के प्रापण के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि इस मद का आईटीएस (एचएस) कोड 96019020 है। यूनिट द्वारा आयात की जाने वाली मात्रा 2000 सीटीएस है जिसका मूल्य 5000 अमरीकी डालर है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि इस मामले में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, एयर कार्गो कम्प्लेक्स, मुंबई से एनओसी की आवश्यकता होगी।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है (अनुबंध 8)।

यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vi) मदर ऑफ पर्ल्स जो आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत प्रतिबंधित मद है, के प्रापण के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स यूनी-डिजाइन ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 2) जो एसईईपीजेड एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स यूनी-डिजाइन ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड को प्लेन एवं स्टडेड गोल्ड ज्वैलरी, तथा प्लेन एवं स्टडेड प्लेटिनम ज्वैलरी के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए एलओए दिनांक 29 मार्च 2000 प्रदान किया गया है।

यूनिट ने डीटीए से मदर ऑफ पर्ल्स जो आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत प्रतिबंधित मद है तथा वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता है, के प्रापण के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि इस मद का आईटीएस (एचएस) कोड 96019020 है। यूनिट द्वारा आयात की जाने वाली मात्रा 2000 सीटीएस है जिसका मूल्य 5000 अमरीकी डालर है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि इस मामले में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, एयर कार्गो कम्प्लेक्स, मुंबई से एनओसी की आवश्यकता होगी।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है (अनुबंध 9)।

यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vii) मदर ऑफ पर्ल्स जो आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत प्रतिबंधित मद है, के प्रापण के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स यूनी-डिजाइन ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 3) जो एसईईपीजेड एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स यूनी-डिजाइन ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड को डायमंड / कलर स्टोन / सिंथेटिक स्टोन में स्टेडेड गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर ज्वैलरी के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए एलओए दिनांक 25 मई 2007 प्रदान किया गया है।

यूनिट ने डीटीए से मदर ऑफ पर्ल्स जो आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत प्रतिबंधित मद है तथा वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता है, के प्रापण के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि इस मद का आईटीएस (एचएस) कोड 96019020 है। यूनिट द्वारा आयात की जाने वाली मात्रा 3000 सीटीएस है जिसका मूल्य 7000 अमरीकी डालर है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि इस मामले में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, एयर कार्गो कम्प्लेक्स, मुंबई से एनओसी की आवश्यकता होगी।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है (अनुबंध 10)।

यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(viii) नाम बदलकर मैसर्स एक्वस एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स क्वेस्ट एसईजेड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो बेलगाम, कर्नाटक में प्रिसीजन इंजीनियरिंग उत्पाद के विनिर्माण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

106.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। यह एसईजेड जुलाई 2009 से क्रियाशील है।

विकासक ने पहले अपने पत्र दिनांक 6 अप्रैल 2011 के माध्यम से अपना नाम क्वेस्ट एसईजेड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के स्थान पर क्वेस्ट ग्लोबल एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए अनुरोध किया था। फाइल पर अनुरोध की जांच की गई तथा विकास आयुक्त से मूल अनुमोदन / अधिसूचना के समय तथा नाम में परिवर्तन के बाद शेयर होल्डिंग का ब्यौरा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। सूचना प्राप्त नहीं हुई और तदनुसार कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

अब विकासक ने बताया है कि उन्होंने अपना नाम पुन: बदलकर क्वेस्ट ग्लोबल एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के स्थान पर एक्वस एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड कर लिया है तथा मैसर्स एक्वस एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के रूप में नाम में परिवर्तन के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

इस प्रकार वर्तमान प्रस्ताव में निम्नलिखित के लिए अनुमोदन शामिल है :

(i) क्वेस्ट एसईजेड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के स्थान पर नाम बदलकर क्वेस्ट ग्लोबल एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करना

(ii) क्वेस्ट ग्लोबल एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के स्थान पर नाम बदलकर अक्वस एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करना

विकासक ने निम्नलिखित सूचना / दस्तावेज प्रस्तुत किया है (अनुबंध 11) :

(i) क्वेस्ट एसईजेड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर क्वेस्ट ग्लोबल एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के संबंध में कंपनी रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र दिनांक 8 अप्रैल 2011

(ii) गजट अधिसूचना के समय तथा क्वेस्ट ग्लोबल एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड और अक्वस एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के रूप में नाम करने के समय शेयर होल्डिंग का पैटर्न।

(iii) कंपनी के निगमन के समय तथा नाम बदलकर क्वेस्ट ग्लोबल एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के समय निदेशकों की सूची

(iv) क्वेस्ट एसईजेड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर अक्वस एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के संबंध में कंपनी रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र दिनांक 5 मार्च 2014

(v) क्वेस्ट ग्लोबल एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के स्थान पर नाम बदलकर अक्वस एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के समय शेयर होल्डिंग का पैटर्न।

(vi) क्वेस्ट ग्लोबल एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के स्थान पर अक्वस एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के रूप में नाम करने के समय शेयर निदेशकों की सूची।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ix) मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो स्पेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (सह विकासक) तथा मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो टेक्नीक प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट) के विलय के लिए मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो टेक्नीक लिमिटेड जो आंध्र प्रदेश में मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, से अनुरोध

मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो स्पेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (सह विकासक) को एलओए दिनांक 20 सितंबर 2010 जारी किया गया था। सह - विकासक ने 30 नवंबर, 2013 तक की स्थिति के अनुसार 200.14 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो टेक्नीक लिमिटेड (यूनिट) को 02 नवंबर 2010 को एलओपी जारी किया गया था। यूनिट ने 30 नवंबर, 2013 तक की स्थिति के अनुसार 73.83 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो टेक्नीक लिमिटेड ने दो कंपनियों अर्थात सह विकासक एवं यूनिट के विलय के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने निम्नलिखित के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है :

(i) निर्णय से दोनों संस्थाओं के आयकर का निर्धारण प्रभावित नहीं होगा
(ii) विलय के बावजूद लाभ की गणना के लिए केवल शेष अवधि अनुमत होगी
(iii) अलग लेखा बहियां रखी जाएंगी।

3 अप्रैल 2014 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 61वीं बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा विकास आयुक्त, वीएसईजेड को विलय की प्रक्रिया में शामिल पक्षों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को स्पष्ट करने का निदेश दिया गया। जवाब में विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने पुष्टि की है कि संबंधित पक्षों अर्थात विकासक और यूनिट के अधिकारों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन नहीं होगा तथा यह पूर्ववत बना रहेगा क्योंकि विलयित कंपनी विकासक एवं यूनिट के लिए अलग लेखा बहियों का प्रचालन करना जारी रखेगी तथा एसईजेड अधिनियम और एलओए / एलओपी की शर्तों के अनुसार सभी बाध्यताओं का पालन करेगी।

इसके अलावा इससे प्रशासन में एकरूपता रखने और संसाधनों की द्विरावृत्ति, आयकर, सेवाकर, आरओसी अनुपालन तथा बोर्ड की बैठकों के संबंध में दोनों कंपनियों द्वारा अलग अनुपालन से बचने में विलयित कंपनियों को मदद मिलेगी। इससे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन की भी आवश्यकता नहीं होगी जो हाल के आयकर सुधारों में घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण के तहत शामिल किया गया है। विलय से पहले और विलय के बाद प्रमुख प्रशासनिक / प्रक्रियागत आवश्यकताओं एवं अनुपालन की तुलना जो यूनिट द्वारा तैयार की गई है, भी संलग्न है (अनुबंध 12)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(x) शेयर होल्डिंग के पैटर्न तथा कंपनी के नाम में परिवर्तन को मंजूरी प्रदान करने के लिए मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो ग्राम मामिडीपल्ली, शमशाबाद मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मौजूदा एयरपोर्ट के विकासक मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड में सह विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को उपर्युक्त एसईजेड में 2 नवंबर 2010 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया। कंपनी को विभिन्न प्रकार के विमानों की एयरक्राफ्ट एमआरओ सेवाओं के लिए विश्व स्तरीय एमआरओ अवसंरचना के सृजन के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम के रूप में मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और मलेशियन एयरोस्पेस इंजीनियरिंग (एमएई) द्वारा प्रमोट किया गया है।

कंपनी ने नवंबर 2011 में अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किया। पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी को 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 240.30 करोड़ रुपए का संचयी नुकसान हुआ है। प्रमोटर प्रचालनों के लिए अधिकांश वित्त पोषण प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल टेक्निकल कंसल्टेंसी अर्गनाइजेशन लिमिटेड (एपिटको) द्वारा हाल ही में सूचित किया गया है, कंपनी को हानिरहित व्यापार के लिए अगले 2-3 वर्षों के लिए प्रमोटर्स से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

संयुक्त उद्यम के पार्टनर एमएई ने सूचित किया है कि वे निरंतर नुकसान तथा अपनी आंतरिक वित्तीय समस्याओं के कारण सहायता प्रदान करना जारी करने में समर्थ नहीं होंगे। एमएच 370 के हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त होने तथा इसके कारण हुए नुकसान से यह स्थिति और बदतर हो गई है। अतः एमएई अपनी इक्विटी बेचना चाहता है और संयुक्त उद्यम से हटना चाहता है। जीएमआर ग्रुप अपना प्रचालन जारी रखना और इस एमआरओ को विश्व स्तरीय एमआरओ के रूप में विकसित करना तथा प्रचालनों को जारी रखना चाहता है। अत: संयुक्त उद्यम के पार्टनर से 50 प्रतिशत शेयर पूंजी का क्रय करने का निर्णय लिया गया।

एमएई से इक्विटी के अधिग्रहण के बाद जीएचआईएएल के पास एमएएस जीएमआर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग लिमिटेड की 100 प्रतिशत इक्विटी होगी तथा मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स जीएमआर इंरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड किया जाएगा। सह विकासक की सभी अन्य जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं का अनुपालन होता रहेगा।

मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने एमएई के 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर का अधिग्रहण करने तथा कंपनी के नाम में परिवर्तन करने के लिए भी अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को शामिल करने का अनुरोध किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xi) नाम बदलकर मैसर्स सनड्यू प्रापर्टीज लिमिटेड करने के लिए मैसर्स सनड्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड जो माधापुर गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकासक है, का प्रस्ताव

माधापुर गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स के रहेजा आईटी पार्क (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड को 30 जून 2006 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था इसे 16 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित किया गया। 18 मई 2007 को विकासक का नाम बदलकर मैसर्स सनड्यू प्रापर्टीज लिमिटेड किया गया।

अब विकासक ने मैसर्स सनड्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स सनड्यू प्रापर्टीज लिमिटेड करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि नाम में परिवर्तन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है तथा 27 दिसंबर 2012 को नया निगमन प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसमें नाम में परिवर्तन को प्रमाणित किया गया है। विकासक ने 18 मई 2007 और 26 एवं 28 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का ब्यौरा तथा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी प्रस्तुत किया है। निदेशक मंडल तथा शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ परिवर्तन है। ब्यौरों को अनुबंध 13 में दर्शाया गया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xii) मैसर्स सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स ऐसपेन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करने के लिए मैसर्स सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो (i) कोयंबटूर, तमिलनाडु (ii) उडुपी, कर्नाटक और (iii) वड़ोदरा, गुजरात में हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पादों एवं संबद्ध सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का प्रस्ताव

मैसर्स सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) के 3 एसईजेड हैं जो इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	स्थान	क्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन	अधिसूचना
1.	कोयंबटूर, जिला तमिलनाडु	इंजीनियरिंग (पूर्व में हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पाद एवं संबद्ध सेवाएं)	25 अक्टूबर, 2006	10 अगस्त, 2007
2.	उडुपी, कर्नाटक	इंजीनियरिंग (पूर्व में हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पाद एवं संबद्ध सेवाएं)	23 मई, 2007	11 सितंबर, 2007
3.	वड़ोदरा, गुजरात	इंजीनियरिंग (पूर्व में हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पाद एवं संबद्ध सेवाएं)	23 मई, 2007	03 जुलाई, 2007

मूल अनुमोदन मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम में था। 7 सितंबर 2009 को विकासक का नाम मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से बदलकर मैसर्स सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड किया गया।

अब विकासक ने उपर्युक्त एसईजेड का नाम मैसर्स सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से बदलकर मैसर्स ऐसपेन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करने के लिए अनुरोध किया है। निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं (अनुबंध 14) :

(i) मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड करने के संबंध में कंपनी रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र दिनांक 7 मई 2009

(ii) मैसर्स सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स ऐसपेन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करने के संबंध में कंपनी रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र दिनांक 21 सितंबर 2012

(iii) 7 मई 2009 और 21 सितंबर 2012 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल

(iv) 7 मई 2009 और 21 सितंबर 2012 की स्थिति के अनुसार शेयर होल्डिंग पैटर्न

संबंधित विकास आयुक्तों द्वारा प्रस्तावों की सिफारिश की गई है।

विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xiii) विकास आयुक्त, केएएसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स बायोमेडिकल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड जो अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स जायडस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित फर्मास्युटिकल एसईजेड की यूनिट है, की अपील

यूनिट ने अपने एलओपी के निरसन के संबंध में विकास आयुक्त, केएएसईजेड के आदेश के विरुद्ध अपील की थी। अपील पर 8 नवंबर 2014 को आयोजित 60वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मामले को वापस विकास आयुक्त, केएएसईजेड के पास भेजा जाए तथा यह निदेश दिया गया कि यूनिट एवं विकासक को सुनवाई का अवसर दिया जाए तथा 30 दिन के अंदर सकारण आदेश पारित किया जाए। इसके बाद विकास आयुक्त ने आदेश दिनांक 10/13 जनवरी 2014 पारित किया था जिसके विरुद्ध यूनिट ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की थी।

अपील पर 3 अप्रैल 2014 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 61वीं बैठक में विचार किया गया। मामले की जांच करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड के आदेश दिनांक 10/13 जनवरी 2014 को अपास्त कर दिया तथा अपीलकर्ता के एलओपी को बहाल कर दिया है और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए एक साल की अवधि प्रदान की गई। एक साल की अवधि उस दिन से शुरू होगी जब विकासक अपीलकर्ता को उक्त प्लाट का कब्ज वापस सौंपेगा। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड को यह भी सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि अपीलकर्ता को प्लाट तुरंत लौटाया जाए।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने पत्र दिनांक 9 जुलाई 2014 (अनुबंध 15) के माध्यम से सूचित किया है कि विकासक (मैसर्स जायडास इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) को निदेश दिया गया कि वे यूनिट को उक्त प्लाट आवंटित करें। तथापि, विकासक ने सूचित किया है कि समय पर विकास आयुक्त के कार्यालय को सूचित किए बगैर अथवा आवंटन पत्र जारी किए बगैर अथवा अब तक एलओपी के लिए यूनिट द्वारा आवेदन के बगैर मैसर्स कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड को उक्त प्लाट आवंटित किया गया है, जो एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है। विकास आयुक्त ने मैसर्स बायोमेडिकल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड को प्लाट के आवंटन की बहाली के लिए विकासक को पत्र लिखा है।

तद्नुसार मामला विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xiv) ब्राड बैंडिंग के साथ सेक्टर में परिवर्तन के लिए मैसर्स अर्शिया नार्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड जो ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में एफटीडब्ल्यूजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विकासक को 27 फरवरी 2009 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एसईजेड 51.4394 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 16 नवंबर 2010 को अधिसूचित हो गया है। अब यह एसईजेड क्रियाशील हो गया है।

अब विकासक ने सेक्टर को एफटीडब्ल्यूजेड से बदलकर जैव प्रौद्योगिकी, केमिकल एवं फर्मास्युटिकल करने के लिए अनुरोध किया है।

सेक्टर में परिवर्तन के लिए विकासक द्वारा निम्नलिखित कारणों का हवाला दिया गया है :

(i) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा एफटीडब्ल्यूजेड के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों का अभाव।

(ii) एफटीडब्ल्यूजेड से माल क्लियर होने पर सीएसटी / वैट से छूट पर राज्य सरकार / केन्द्र सरकार से स्पष्टता का अभाव अर्थात एफटीडब्ल्यूजेड से माल के क्लियरेंस को किसी अन्य पोर्ट से आयात क्लियरेंस के रूप में लिया जाएगा या नहीं।

(iii) खुर्जा में और आसपास बाहरी अवसंरचना जैसे कि सड़कों, एयरपोर्ट आदि का अभाव जो एफटीडब्ल्यूजेड के कार्यकरण एवं प्रचालन के लिए आवश्यक है।

(iv) मार्च 2014 के बाद स्थापित एसईजेड यूनिट के लिए प्रत्यक्ष कर संहिता के तहत आयकर लाभ का वापस लिया जाना।

(v) वैश्विक मंदी

(vi) विश्व स्तरीय एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने की लागत में वृद्धि जिसकी वजह से वे विनिर्माण एवं आईटी / आईटीईएस के संयोजन के लिए सेक्टर में परिवर्तन का प्रस्ताव कर रहे हैं। एफटीडब्ल्यूजेड से सटी भूमि / भवन में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए अलग से आवेदन किया गया है।

विकासक ने 626.24 करोड़ रुपए के मौजूदा निवेश के ऊपर 33.16 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा 750 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की परिकल्पना है। विकासक ने सेक्टर को एफटीडब्ल्यूजेड से बदलकर जैव प्रौद्योगिकी, केमिकल एवं फर्मास्युटिकल सेक्टर करने पर अगले 5 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए के निर्यात की प्रत्याशा की है।

इस समय एफटीडब्ल्यूजेड में 8 अनुमोदित यूनिटें हैं जिसमें से 4 यूनिटें क्रियाशील हैं। चूंकि ये सभी यूनिटें ट्रेडिंग यूनिटें हैं इसलिए सेक्टर में परिवर्तन से ये यूनिटें बंद हो जाएंगी। इसलिए, विकासक ने निम्नलिखित यूनिटों से एनओसी प्रस्तुत किया है :

(i) मैसर्स सिद्धार्थ लाजिस्टिक्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

(ii) मैसर्स एमडब्ल्यूटी ट्रेडिंग

(iii) मैसर्स श्रीकर्म प्रिसाइंस प्राइवेट लिमिटेड

(iv) मैसर्स वैल्यू फ्रेट (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड

(v) मैसर्स जियोडिस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड

(vi) मैसर्स अर्शिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड

विकासक ने बताया है कि शेष दो यूनिटें अर्थात मैसर्स डीएसवी एयर एंड सी प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स बुहारीवाला लाजिस्टिक्स भी एनओसी प्रदान करने के लिए सहमत हैं परंतु वे अपने व्यवसाय के विस्तार में व्यस्त हैं तथा बताया है कि वे मई 2014 के अंत तक एनओसी प्रस्तुत करेंगी, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। विकासक ने इन दो यूनिटों से एनओसी प्राप्त करने का वचन दिया है। इन दो यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि 7 जुलाई 2012 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने यह भी सूचित किया है कि भूमि प्रयोग में परिवर्तन का मामला उत्तर प्रदेश सरकार के पास लंबित है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लिए जाने के तुरंत बाद वे राज्य सरकार के निर्णय से अवगत कराएंगे।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(xv) नेविगेशन की प्रतिबंधित मदों के आयात के लिए मैसर्स पीपावाव डिफेंस एंड आफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो पीपावाव, अमरेली, गुजरात में मैसर्स ई-कम्प्लेक्स एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एफपीएसओ, रिग, प्लेटफार्म आदि सहित शिप, वेजल, हुल, आफशोर स्ट्रक्चर के विनिर्माण के लिए 8 जनवरी 2008 को यूनिट को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट ने 1 अप्रैल 2009 को उत्पादन शुरू किया। अब यूनिट अनुबंध 16 के अनुसार कुछ प्रतिबंधित मदों का क्रय करना चाहती है। यूनिट ने 28 फरवरी 2014 को दूरसंचार मंत्रालय के पास भी आवेदन किया है। वेजल का शीघ्र ही सी ट्रायल किया जाना है।

प्रतिबंधित मदों के आयात के लिए, समय समय पर संशोधित एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 26 में यह प्रावधान है कि यदि किसी अन्य कानून के तहत आयात के लिए किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होगी तो उसे अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से अनुमत किया जाएगा।

विकास आयुक्त ने प्रतिबंधित मदों के आयात के प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए अनुरोध किया है (अनुबंध 17)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(xvi) अपने एएसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम बेहरामपुर, बधवारी एवं बलोला, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

21.73693 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने अपने एसईजेड के विस्तार के लिए 3.38430 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 25.12123 हेक्टेयर हो जाएगा।

विकासक ने बताया है कि अतिरिक्त भूमि पर उनका कब्जा है तथा यह भूमि खाली पड़ी है एवं संस्पर्शी है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(xvii) एलओपी के पुन: नवीकरण के लिए मैसर्स प्लास्टोलीन पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, फाल्टा एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

मैसर्स प्लास्टोलीन पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड को निम्नलिखित मदों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए एफएसईजेड में एलओपी दिनांक 24 दिसंबर 1997 प्रदान किया गया था :

क्र. सं.	विनिर्माण की मद	वार्षिक क्षमता
1.	प्लास्टिक ग्रेन्यूल	1200 मीट्रिक टन
2.	प्लास्टिक स्वीपिंग ग्रेन्यूल	600 मीट्रिक टन
3.	बैग	600 मीट्रिक टन

यूनिट ने मार्च, 2000 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। इसके बाद एलओपी में विभिन्न तिथियों को निम्नानुसार निम्नलिखित मदें भी शामिल की गईं :

क्र. सं.	विनिर्माण की मद	उत्पादन की संशोधित वार्षिक क्षमता	संशोधन की तिथि
1.	प्लास्टिक एगलोमरेट	21000 मीट्रिक टन	26 अगस्त, 1998
2.	ले फ्लैट ट्यूब	7200 मीट्रिक टन	20 अगस्त, 2004
3.	प्लास्टिक तथा जूट वेस्ट कंपोजिट से निर्मित इको डब्ल्यूयूडी	3000 मीट्रिक टन	20 अगस्त, 2004

4.	प्लास्टिक फिल्म	3600 मीट्रिक टन	20 अगस्त, 2004
5.	रिप्रोसेस्ड प्लास्टिक ग्रेन्यूल तथा कंपाउंड प्लास्टीसाइजर (प्लास्टिक के लिए अक्सेलरेटर / स्टेबलाइजर)	25200 मीट्रिक टन	04 अगस्त, 2006

28 फरवरी 2010 के बाद एलओपी दिनांक 24 दिसंबर 1997 की वैधता अवधि समाप्त हो जाने पर 5 साल की अगली अवधि के लिए अर्थात 28 फरवरी 2015 तक अनुमोदन बोर्ड द्वारा 11 फरवरी 2010 को आयोजित अपनी बैठक में एलओपी की वैधता अवधि इस शर्त के साथ बढ़ाई गई कि यूनिट आग लगने की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक एहतियात बरतेगी और विकास आयुक्त द्वारा विहित कोई अन्य सावधानी भी बरतेगी तथा आयकर लाभ के संबंध में समय सीमा भी निर्धारित की गई।

इसके बाद 15 मार्च 2013 को आयोजित अपनी 57वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के अनुसार एलओपी दिनांक 24 दिसंबर 1997 की वैधता अवधि घटाकर 30 जून 2013 तक कर दी गई। इसके बाद 30 नवंबर 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवधिक विस्तार प्रदान किया गया।

एसईजेड में प्लास्टिक स्क्रैप या अपशिष्ट की रिसाइकलिंग का कार्य करने वाली यूनिटों पर 17 सितंबर 2013 को वाणिज्य विभाग द्वारा नई नीति जारी किए जाने पर मामले को पुन: 8 नवंबर 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के समक्ष रखा गया तथा वाणिज्य विभाग के पत्र दिनांक 2 दिसंबर 2013 के माध्यम से कुछ शर्तों एवं नियमों के अधीन 5 साल की अगली अवधि के लिए एलओपी के नवीकरण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त आदेश के पैरा 3 में उल्लिखित शर्तों में से एक शर्त इस प्रकार है :

"एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) (ख) के अनुसार, यूनिट का प्रचालन शुरू हो जाने के बाद आयात की औसत वार्षिक मात्रा से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट एवं स्क्रैप की अनुमोदित मात्रा में वृद्धि के लिए कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाएगा।"

उक्त पत्र दिनांक 2 दिसंबर 2013 द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी किए गए एलओपी उपर्युक्त निर्णयों का कड़ाई से पालन करने वाले हैं और मौजूदा एलओपी में आवश्यक संशोधन करने के बाद मौजूदा यूनिटों के एलओपी का नवीकरण किया जाएगा ताकि सुनिश्चित हो कि सभी उपर्युक्त शर्तों को विधिवत रूप से शामिल किया गया है।

इसके बाद वाणिज्य विभाग द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को शामिल करते हुए 19 दिसंबर 2013 को शुद्धि पत्र के साथ 13 दिसंबर 2013 को एलओपी जारी किया गया। वाणिज्य विभाग की सलाह के अनुसार 1996/1997 में उत्पादन शुरू होने के समय मूल एलओपी के अनुसार वार्षिक उत्पादन क्षमता अनुमत की गई है तथा बाद में संशोधित / शामिल किए गए सभी निर्यात उत्पादों को भी नए एलओपी में शामिल किया गया है ताकि यूनिटें मूल्यवर्धित उत्पादों का विनिर्माण एवं निर्यात कर सकें। विकास आयुक्त ने बताया है कि केवल 5 प्रतिशत वेस्टेज के साथ आयात की मात्रा अनुमत की गई है, जिसकी पुष्टि की जा सकती है।

निर्णय से व्यथित होकर यूनिट ने प्रतिवादी एक के रूप में सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के माध्यम से भारत संघ के विरुद्ध और प्रतिवादी नंबर दो और तीन के रूप में क्रमश: विकास आयुक्त तथा सहायक विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड, कोलकाता के विरुद्ध 2014 की रिट याचिका संख्या 3532 (डब्ल्यू) दाखिल की है।

3 अप्रैल 2014 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 61वीं बैठक में प्रस्ताव रखा गया था जिसमें अपेक्षित होने पर तर्कसंगत आधारों के साथ प्रस्ताव को पुन: प्रस्तुत करने के निदेश के साथ मामले को वापस विकास आयुक्त के पास भेजने का निर्णय लिया गया।

अब विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड ने बताया है कि यूनिट का अनुरोध वार्षिक क्षमता को बहाल करने के लिए है। मामला माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता में न्यायाधीन भी है। विकास आयुक्त का यह मत है कि एसईजेड नियमावली की अधिसूचना से पूर्व एलओपी में उल्लिखित क्षमता तुरंत बहाल की जा सकती है। शेष के लिए, अनुमोदन बोर्ड निर्णय ले सकता है क्योंकि अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति अनुमोदन बोर्ड के पास है।

तद्नुसार प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 62.8 : औपचारिक अनुमोदनों को निरस्त करना

एसईजेड नियमावली के नियम 6(2) (क) के अनुसार, औपचारिक अनुमोदन तीन साल की अवधि के लिए वैध होता है तथा इस समय तक कम से कम 1 यूनिट द्वारा उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए तथा ऐसे उत्पादन के आरंभ होने की तिथि से एसईजेड क्रियाशील हो जाना चाहिए। इस नियम के परंतुक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रावधान है जिसके लिए विकासक संबंधित विकास आयुक्त को फार्म सी1 में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा जो 15 दिन के अंदर इसे अपनी टिप्पणियों के साथ अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करेगा।

निम्नलिखित मामलों में वाणिज्य विभाग द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, चूंकि विकासक द्वारा कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की गई है इसलिए विकास आयुक्त ने विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने का प्रस्ताव किया है। मामलों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विकासक का नाम	क्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन की तारीख	क्षेत्र	अभ्युक्तियां
1.	मैसर्स एनफील्ड रियाल्टर्स लिमिटेड (कंकसा, पानगढ़, बर्दवान, पश्चिम बंगाल)	सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा	23 मई, 2007	एफएसईजेड	विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने प्रस्तावित एसईजेड का निरीक्षण किया था तथा पाया कि भूमि खाली पड़ी है तथा कोई निर्माण नहीं हुआ है। कृषि संबंधी कार्य जारी है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने राज्य सरकार को सूचित करते हुए औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
2.	मैसर्स एनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (कंकसा, पानगढ़, बर्दवान, पश्चिम बंगाल)	सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा	23 अगस्त 2006	एफएसईजेड	एसईजेड को 24 अगस्त, 2007 को अधिसूचित किया गया। विकास आयुक्त ने बताया है कि विकासक से निवेश तथा परियोजना को पूरा करने के लिए समय सीमा के बारे में रिपोर्ट भेजने के लिए मौखिक रूप से कई बार तथा पत्र दिनांक 24 अक्टूबर 2013 के माध्यम से भी अनुरोध किया गया था। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने एसईजेड का निरीक्षण किया था तथा पाया कि भूमि खाली पड़ी है तथा कोई निर्माण नहीं हुआ है।कृषि संबंधी कार्य भी जारी था। विकास आयुक्त ने राज्य सरकार को सूचित करते हुए औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
3.	मैसर्स एनफील्ड एनर्जी लिमिटेड (कंकसा, पानगढ़, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल)	सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा	26 जून, 2008	एफएसईजेड	एसईजेड को 10 फरवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया। विकास आयुक्त द्वारा मौखिक रूप से लगातार अनुरोध किए जाने और पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2013 के बावजूद विकासक ने परियोजना को पूरा करने की समय सीमा तथा निवेश के बारे में कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि काफी समय बीत जाने के बाद भी अधिसूचित एसईजेड में कोई गतिविधि नहीं है इसलिए विकास आयुक्त ने राज्य सरकार को सूचित करते हुए औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की

					है।
4.	मैसर्स कैपस्टोन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल)	आईटी / आईटीईएस	30 अक्टूबर 2008	एफएसईजेड	एसईजेड की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए 8 मार्च 2013 को विकासक से अनुरोध किया गया। विकासक ने निर्धारित प्रपत्र के बगैर 27 अक्टूबर 2013 के बाद 24 माह तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए 28 मई 2013 को अनुरोध किया। पत्र दिनांक 19 अगस्त 2013, 3 सितंबर 2013, 9 अक्टूबर 2013 तथा 23 अक्टूबर 2013 के माध्यम से विकासक को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परंतु एसईजेड की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। साइट का निरीक्षण करने पर पता चला कि भूमि खाली पड़ी है / कोई निर्माण नहीं हुआ है। चूंकि एसईजेड में कोई गतिविधि नहीं है इसलिए विकास आयुक्त ने राज्य सरकार को सूचित करते हुए औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
5.	मैसर्स डेक्कन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (चिन्नकोंडूर, चोतुप्पल, नलगोंडा जिला)	चिकित्सा डिवाइसों सहित फर्मास्युटिकल उत्पाद	30 अक्टूबर 2008	वीएसईजेड	औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। विकासक राज्य सरकार की संस्था है। 21 सितंबर 2012 और 7 फरवरी 2013 को आयोजित बैठकों में विकासक को सूचित किया गया कि औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई है।उन्होंने कोई ठोस प्रस्ताव या कार्य योजना तक प्रस्तुत नहीं किया है। एसईजेड को अधिसूचित करने या एसईजेड परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने अनुमोदित सूची से डीआईएलएल के सभी अनुमोदित एसईजेड को हटाने की सिफारिश की है।
6.	मैसर्स डेक्कन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (अकुतोतपल्ली, अमंगल, महबूबनगर)	टेक्सटाइल, अपैरल, गारमेंट्स, फैशन असेसरीज	25 जून 2008	वीएसईजेड	औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। विकासक राज्य सरकार की संस्था है। 21 सितंबर 2012 और 7 फरवरी 2013 को आयोजित बैठकों में विकासक को सूचित किया गया कि औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई है।उन्होंने कोई ठोस प्रस्ताव या कार्य योजना तक प्रस्तुत नहीं किया है। एसईजेड को अधिसूचित करने या एसईजेड परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने अनुमोदित सूची से डीआईएलएल के सभी अनुमोदित एसईजेड को हटाने की सिफारिश की है।
7.	मैसर्स डेक्कन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (मुधवीन, महबूबनगर)	इंजीनियरिंग (कृषि, पशुधन एवं संबद्ध)	25 जून 2008	वीएसईजेड	औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। विकासक राज्य सरकार की संस्था है। 21 सितंबर 2012 और 7 फरवरी 2013 को आयोजित बैठकों में विकासक को सूचित किया गया कि औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई है।उन्होंने कोई ठोस प्रस्ताव या कार्य योजना तक प्रस्तुत नहीं किया है। एसईजेड को अधिसूचित करने या एसईजेड परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने अनुमोदित सूची से डीआईएलएल के सभी अनुमोदित एसईजेड को हटाने की

					सिफारिश की है।
8.	मैसर्स डेक्कन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (दसरलापल्ली, मुलुगु मंडल मेडक जिला)	बायोटेक	25 जून 2008	वीएसईजेड	औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। विकासक राज्य सरकार की संस्था है। 21 सितंबर 2012 और 7 फरवरी 2013 को आयोजित बैठकों में विकासक को सूचित किया गया कि औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई है।उन्होंने कोई ठोस प्रस्ताव या कार्य योजना तक प्रस्तुत नहीं किया है। एसईजेड को अधिसूचित करने या एसईजेड परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने अनुमोदित सूची से डीआईएलएल के सभी अनुमोदित एसईजेड को हटाने की सिफारिश की है।
9.	मैसर्स डेक्कन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (मामिडीपल्ली, शमशाबाद, रंगारेड्डी जिला)	एफटीडब्ल्यूजेड	25 जून, 2008	वीएसईजेड	औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। विकासक राज्य सरकार की संस्था है। 21 सितंबर 2012 और 7 फरवरी 2013 को आयोजित बैठकों में विकासक को सूचित किया गया कि औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई है।उन्होंने कोई ठोस प्रस्ताव या कार्य योजना तक प्रस्तुत नहीं किया है। एसईजेड को अधिसूचित करने या एसईजेड परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने अनुमोदित सूची से डीआईएलएल के सभी अनुमोदित एसईजेड को हटाने की सिफारिश की है।
10.	मैसर्स डेक्कन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (अमंगल, महबूबनगर)	एफटीडब्ल्यूजेड	25 जून, 2008	वीएसईजेड	औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। विकासक राज्य सरकार की संस्था है। 21 सितंबर 2012 और 7 फरवरी 2013 को आयोजित बैठकों में विकासक को सूचित किया गया कि औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई है।उन्होंने कोई ठोस प्रस्ताव या कार्य योजना तक प्रस्तुत नहीं किया है। एसईजेड को अधिसूचित करने या एसईजेड परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने अनुमोदित सूची से डीआईएलएल के सभी अनुमोदित एसईजेड को हटाने की सिफारिश की है।
11.	मैसर्स डेक्कन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (अमंगल, महबूबनगर जिला)	रत्न एवं आभूषण	25 जून, 2008	वीएसईजेड	औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। विकासक राज्य सरकार की संस्था है। 21 सितंबर 2012 और 7 फरवरी 2013 को आयोजित बैठकों में विकासक को सूचित किया गया कि औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई है।उन्होंने कोई ठोस प्रस्ताव या कार्य योजना तक प्रस्तुत नहीं किया है। एसईजेड को अधिसूचित करने या एसईजेड परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने अनुमोदित सूची से डीआईएलएल के सभी अनुमोदित एसईजेड को हटाने की सिफारिश की है।
12.	मैसर्स डेक्कन	लाइट	30 अक्टूबर, 2008	वीएसईजेड	औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई

	इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (भोनगिर, नलगोंडा)	इंजीनियरिंग			है। विकासक राज्य सरकार की संस्था है। 21 सितंबर 2012 और 7 फरवरी 2013 को आयोजित बैठकों में विकासक को सूचित किया गया कि औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई है।उन्होंने कोई ठोस प्रस्ताव या कार्य योजना तक प्रस्तुत नहीं किया है। एसईजेड को अधिसूचित करने या एसईजेड परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने अनुमोदित सूची से डीआईएलएल के सभी अनुमोदित एसईजेड को हटाने की सिफारिश की है।
13.	मैसर्स डेक्कन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (कोमाडीविल्ल, मधुरवाडा, विशाखापत्तनम)	आईटी / आईटीईएस	30 अक्टूबर, 2008	वीएसईजेड	औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। विकासक राज्य सरकार की संस्था है। 21 सितंबर 2012 और 7 फरवरी 2013 को आयोजित बैठकों में विकासक को सूचित किया गया कि औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई है।उन्होंने कोई ठोस प्रस्ताव या कार्य योजना तक प्रस्तुत नहीं किया है। एसईजेड को अधिसूचित करने या एसईजेड परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने अनुमोदित सूची से डीआईएलएल के सभी अनुमोदित एसईजेड को हटाने की सिफारिश की है।
14.	मैसर्स डेक्कन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (कुकटपल्ली, रंगारेड्डी जिला)	आईटी / आईटीईएस	03 जुलाई, 2008	वीएसईजेड	औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। विकासक राज्य सरकार की संस्था है। 21 सितंबर 2012 और 7 फरवरी 2013 को आयोजित बैठकों में विकासक को सूचित किया गया कि औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई है।उन्होंने कोई ठोस प्रस्ताव या कार्य योजना तक प्रस्तुत नहीं किया है। एसईजेड को अधिसूचित करने या एसईजेड परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने अनुमोदित सूची से डीआईएलएल के सभी अनुमोदित एसईजेड को हटाने की सिफारिश की है।
15.	मैसर्स डेक्कन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (शमशाबाद, हैदराबाद)	आईटी / आईटीईएस	03 जुलाई, 2008	वीएसईजेड	औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। विकासक राज्य सरकार की संस्था है। 21 सितंबर 2012 और 7 फरवरी 2013 को आयोजित बैठकों में विकासक को सूचित किया गया कि औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई है।उन्होंने कोई ठोस प्रस्ताव या कार्य योजना तक प्रस्तुत नहीं किया है। एसईजेड को अधिसूचित करने या एसईजेड परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने अनुमोदित सूची से डीआईएलएल के सभी अनुमोदित एसईजेड को हटाने की सिफारिश की है।
16.	मैसर्स डेक्कन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड	आईटी / आईटीईएस	03 जुलाई, 2008	वीएसईजेड	औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। विकासक राज्य सरकार की संस्था है। 21 सितंबर 2012 और 7 फरवरी 2013 को आयोजित बैठकों में विकासक को सूचित किया गया कि औपचारिक

	(बचुपल्ली, कुतुबुल्लमुर, रंगारेड्डी जिला)				अनुमोदन को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई है।उन्होंने कोई ठोस प्रस्ताव या कार्य योजना तक प्रस्तुत नहीं किया है। एसईजेड को अधिसूचित करने या एसईजेड परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने अनुमोदित सूची से डीआईएलएल के सभी अनुमोदित एसईजेड को हटाने की सिफारिश की है।
17.	मैसर्स डेक्कन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (कोहेडा, हयातनगर, रंगारेड्डी जिला)	आईटी / आईटीईएस	03 जुलाई, 2008	वीएसईजेड	औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। विकासक राज्य सरकार की संस्था है। 21 सितंबर 2012 और 7 फरवरी 2013 को आयोजित बैठकों में विकासक को सूचित किया गया कि औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई है।उन्होंने कोई ठोस प्रस्ताव या कार्य योजना तक प्रस्तुत नहीं किया है। एसईजेड को अधिसूचित करने या एसईजेड परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने अनुमोदित सूची से डीआईएलएल के सभी अनुमोदित एसईजेड को हटाने की सिफारिश की है।
18.	मैसर्स डेक्कन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (परदेसीपलेम, मधुरवाडा, विशाखापत्तनम)	आईटी / आईटीईएस	08 सितंबर, 2008	वीएसईजेड	औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। विकासक राज्य सरकार की संस्था है। 21 सितंबर 2012 और 7 फरवरी 2013 को आयोजित बैठकों में विकासक को सूचित किया गया कि औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई है।उन्होंने कोई ठोस प्रस्ताव या कार्य योजना तक प्रस्तुत नहीं किया है। एसईजेड को अधिसूचित करने या एसईजेड परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने अनुमोदित सूची से डीआईएलएल के सभी अनुमोदित एसईजेड को हटाने की सिफारिश की है।
19.	मैसर्स एपी मार्कफेड (करीमनगर)	आईटी / आईटीईएस	08 फरवरी, 2008	वीएसईजेड	औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। विकासक राज्य सरकार की संस्था है तथा 21 सितंबर 2012 को उनको सूचित किया गया कि अब कोई और विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा तथा उनको अनुमोदित सूची से निकाल दिया जाएगा। विकासक को अपनी परियोजनाओं पर पुनर्विचार करने तथा अपने एसईजेड के कार्यान्वयन के लिए ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पत्र भेजा गया। तथापि, विकासक ने इसके लिए सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा, एसईजेड को अधिसूचित करने या एसईजेड परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
20.	मैसर्स एस्सेल इनफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (गोराई - मनोरी -	बहु सेवा	30 अक्टूबर, 2008	एसईईपीजेड	23 फरवरी 2010 को एसईजेड का निरीक्षण किया गया तथा 8 जुलाई 2010 को विकासक से दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया। धारावी बेट बचाओ समिति ने एसईजेड परियोजना के विकासक के विरुद्ध

	उत्तन क्षेत्र, मुंबई)				अभिवेदन दिया था। डीसी (उद्योग), महाराष्ट्र सरकार से न्यायिक मामले की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया गया। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। 15 अक्टूबर 2013 को विकासक से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया कि क्या वे एसईजेड परियोजना को जारी रखना चाहते हैं। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
21.	मैसर्स आरएनए बिल्डर्स (ग्राम टिवरी और रजावली, तालुक वसई, जिला थाणे)	आईटी / आईटीईएस	26 नवंबर, 2007	एसईईपीजेड	15 अक्टूबर 2013 को विकासक से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया कि क्या वे एसईजेड परियोजना को जारी रखना चाहते हैं। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
22.	मैसर्स एईसी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (ग्राम मोरखल सिलवासा, दादरा एवं नगर हवेली)	रत्न एवं आभूषण	22 अप्रैल, 2008	एसईईपीजेड	11 अक्टूबर 2013 को विकासक से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया कि क्या वे एसईजेड परियोजना को जारी रखना चाहते हैं। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
23.	मैसर्स रॉयल पाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सर्वे नंबर 169, आरेय मिल्क कालोनी, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई)	रत्न एवं आभूषण	26 जून, 2007	एसईईपीजेड	15 अक्टूबर 2013 को विकासक से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया कि क्या वे एसईजेड परियोजना को जारी रखना चाहते हैं। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
24.	मैसर्स मैराथन प्राचीन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (पनवेल, जिला रायगढ़)	मल्टी सर्विसेज	15 नवंबर, 2006	एसईईपीजेड	14 अक्टूबर 2013 को विकासक से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया कि क्या वे एसईजेड परियोजना को जारी रखना चाहते हैं। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
25.	मैसर्स बाम्बे इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन (माहुल, चेंबूर, जिला मुंबई)	आईटी / आईटीईएस	19 जून, 2007	एसईईपीजेड	25 अक्टूबर 2007 को एसईजेड का निरीक्षण किया गया तथा विकासक से 6 जुलाई 2007, 17 अक्टूबर 2008, 1 जनवरी 2009 और 6 जनवरी 2010 को अधिसूचना के प्रयोजनार्थ अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया परंतु कोई जवाब प्राप्त नही हुआ। 14 अक्टूबर 2013 को विकासक से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया कि क्या वे एसईजेड परियोजना को जारी रखना चाहते हैं। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
26.	मैसर्स रिलायंस इनफोकाम इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (धीरूभाई अंबानी नालेज सिटी, कोपर खैरने, नवी मुंबई)	आईटी / आईटीईएस	26 जुलाई, 2007	एसईईपीजेड	25 अक्टूबर 2007 को एसईजेड का निरीक्षण किया गया तथा 30 मार्च 2010 को विकासक से अधिसूचना के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया परंतु कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2013 को विकासक से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया कि क्या वे एसईजेड परियोजना को जारी रखना चाहते हैं। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

					तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
27.	मैसर्स प्राइड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (चरोली, बुद्रुक, तालुक हवेली, पुणे)	आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर	25 अक्टूबर, 2007	एसईईपीजेड	11 अक्टूबर 2013 को विकासक से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया कि क्या वे एसईजेड परियोजना को जारी रखना चाहते हैं। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
28.	मैसर्स राजीव गांधी आईटी पार्क कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (गिरनार पैथन रोड, जिला औरंगाबाद)	आईटी / आईटीईएस	30 अक्टूबर, 2008	एसईईपीजेड	11 अक्टूबर 2013 को विकासक से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया कि क्या वे एसईजेड परियोजना को जारी रखना चाहते हैं। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
29.	मैसर्स कीर्ति इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ग्राम लोहागांव, तालुक हवेली, जिला पुणे)	आईटी / आईटीईएस	27 फरवरी, 2009	एसईईपीजेड	11 अक्टूबर 2013 को विकासक से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया कि क्या वे एसईजेड परियोजना को जारी रखना चाहते हैं। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
30.	मैसर्स सिद्धिविनायक नालेज सिटी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (ग्राम भोनसारी, तालुक हवेली, जिला पुणे)	आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर	19 जून, 2007	एसईईपीजेड	11 अक्टूबर 2013 को विकासक से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया कि क्या वे एसईजेड परियोजना को जारी रखना चाहते हैं। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
31.	मैसर्स जिंदल फोटो लिमिटेड (इगतपुरी, नासिक, महाराष्ट्र)	आईटी / आईटीईएस	25 जून, 2007	एसईईपीजेड	15 अक्टूबर 2013 को विकासक से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया कि क्या वे एसईजेड परियोजना को जारी रखना चाहते हैं। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
32.	मैसर्स दोस्ती एंटरप्राइजेज (थाणे)	आईटी	18 जून, 2007	एसईईपीजेड	11 अक्टूबर 2013 को विकासक से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया कि क्या वे एसईजेड परियोजना को जारी रखना चाहते हैं। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
33.	मैसर्स सिटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड (हवेली, जिला पुणे)	आईटी / आईटीईएस	06 नवंबर, 2006	एसईईपीजेड	11 अक्टूबर 2013 को विकासक से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया कि क्या वे एसईजेड परियोजना को जारी रखना चाहते हैं। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
34.	मैसर्स फेरानी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (मलाड, मुंबई, महाराष्ट्र)	आईटी / आईटीईएस	30 जुलाई, 2007	एसईईपीजेड	एसईजेड नियमावली 2006 में अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त 2013 और उसके स्पष्टीकरण दिनांक 13 सितंबर 2013 के माध्यम से जारी किए गए संशोधन के बारे में विकासक को 15 अक्टूबर 2013 को सूचित किया गया तथा उनसे यह बताने का अनुरोध किया गया कि क्या वे एसईजेड परियोजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं या नहीं। उनसे भूमि का ब्यौरा, कार्यान्वयन अनुसूची, वैधता अवधि बढ़ाने के लिए औचित्य आदि प्रस्तुत करने का

					भी अनुरोध किया गया। विकासक ने जून 2014 से पांच साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुरोध की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है / कदम नहीं उठाया गया है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है। विकास आयुक्त ने बताया है कि जब परियोजना को लागू करने के लिए विकासक तैयार हो जाए तो वे औपचारिक अनुमोदन जारी करने के लिए नया आवेदन कर सकते हैं।
35.	मैसर्स एनईपीसी इंडिया लिमिटेड		08 मई, 2008	एमईपीजेड	8 अक्टूबर 2013 को विकासक से अनुरोध किया गया कि यदि वे चाहते हैं तो एक माह के अंदर वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। तथापि, विकासक से कोई अनुरोध / आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
36.	मैसर्स बेस्ट एंड क्राम्पटन इंजीनियरिंग लिमिटेड		26 जून, 2008	एमईपीजेड	8 अक्टूबर 2013 को विकासक से अनुरोध किया गया कि यदि वे चाहते हैं तो एक माह के अंदर वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। तथापि, विकासक से कोई अनुरोध / आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
37.	मैसर्स एमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड		26 फरवरी, 2009	एमईपीजेड	8 अक्टूबर 2013 को विकासक से अनुरोध किया गया कि यदि वे चाहते हैं तो एक माह के अंदर वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। तथापि, विकासक से कोई अनुरोध / आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
38.	मैसर्स जीवीके पेरंबलूर एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड		10 फरवरी, 2009	एमईपीजेड	8 अक्टूबर 2013 को विकासक से अनुरोध किया गया कि यदि वे चाहते हैं तो एक माह के अंदर वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। तथापि, विकासक से कोई अनुरोध / आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
39.	मैसर्स कोवई हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड		05 दिसंबर, 2007	एमईपीजेड	8 अक्टूबर 2013 को विकासक से अनुरोध किया गया कि यदि वे चाहते हैं तो एक माह के अंदर वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। तथापि, विकासक से कोई अनुरोध / आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
40.	मैसर्स सेल सलेम एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड		26 जून, 2008	एमईपीजेड	8 अक्टूबर 2013 को विकासक से अनुरोध किया गया कि यदि वे चाहते हैं तो एक माह के अंदर वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। तथापि, विकासक से कोई अनुरोध / आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
41.	कांचीपुरम में मैसर्स		25 जून, 2007	एमईपीजेड	9 अक्टूबर 2013 को विकासक से अनुरोध किया गया

	तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (टिडको)				कि यदि वे चाहते हैं तो एक माह के अंदर वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। तथापि, विकासक से कोई अनुरोध / आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
42.	मैसर्स अनुश इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (पनैयूर गांव, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु)	आईटी / आईटीईएस		एमईपीजेड	पत्र दिनांक 30 जनवरी 2014 के माध्यम से विकासक ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र में आर्थिक मंदी के कारण वे आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने का अनुरोध किया है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने का अनुरोध किया है।
43.	मैसर्स एक्संसा इंडिया एसईजेड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नई, तमिलनाडु)	आईटी / आईटीईएस	17 जनवरी, 2006	एमईपीजेड	एसईजेड को 09 फरवरी, 2010 को अधिसूचित किया गया। औपचारिक अनुमोदन के नवीकरण में अपनी रुचि बताने के लिए विकास आयुक्त द्वारा विकासक को 17 अप्रैल 2014 को एक और अवसर प्रदान किया गया। विकासक ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने आवश्यक ड्यूटी के भुगतान तथा राज्य सरकार से एनओसी के अधीन स्वप्रेरणा से एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त एसईजेड के औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने / विमुक्त करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 62.9 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) विकास आयुक्त, एफएसईजेड / यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 2 अप्रैल 2014 के विरुद्ध मैसर्स राबिंसन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनिट है, की अपील

विकास आयुक्त के आदेश दिनांक 2 अप्रैल 2014 के विरुद्ध मैसर्स राबिंसन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनिट है, ने अपील की है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने यूनिट द्वारा किराया का भुगतान न किए जाने के कारण 10 जनवरी 2014 को यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के आधार पर यूनिट को जारी किया गया एलओपी निरस्त कर दिया है।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध-18) दाखिल की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) विकास आयुक्त, एफएसईजेड / यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 25 फरवरी 2014 के विरुद्ध मैसर्स एकतारा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनिट है, की अपील

विकास आयुक्त के आदेश दिनांक 25 फरवरी 2014 के विरुद्ध मैसर्स एकतारा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपील की है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने निम्नलिखित कारणों से 10 जनवरी 2014 को यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के आधार पर यूनिट को जारी किया गया एलओपी निरस्त कर दिया है :

(i) **फर्म किराए का भुगतान नहीं कर रही है तथा इस संबंध में पहले भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।**

(ii) **फर्म ने किराए का भुगतान करने के संबंध में पहले की गई अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं किया है।**

(iii) **फर्म ने** 30,26,11,022 **रुपए की राशि वसूल नहीं की है जो** 30 **जून** 2013 **को समाप्त छमाही के लिए उनकी यूनिट के विरुद्ध बकाया है जिसके लिए अलग से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा कार्यवाही चल रही है।**

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध-19) **दाखिल की है।**

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) विकास आयुक्त, एफएसईजेड / यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 25 फरवरी 2014 के विरुद्ध मैसर्स एलेनबेरी एग्जिम लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनिट है, की अपील

विकास आयुक्त के आदेश दिनांक 25 **फरवरी** 2014 **के विरुद्ध मैसर्स एलेनबेरी एग्जिम लिमिटेड ने अपील की है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने निम्नलिखित कारणों से** 10 **जनवरी** 2014 **को यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के आधार पर यूनिट को जारी किया गया एलओपी निरस्त कर दिया है** :

(i) **फर्म किराए का भुगतान नहीं कर रही है तथा इस संबंध में पहले भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।**

(ii) **फर्म ने किराए का भुगतान करने के संबंध में पहले की गई अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं किया है।**

(iii) **फर्म ने** 92,93,30,408.01 **रुपए की राशि वसूल नहीं की है जो** 30 **जून** 2013 **को समाप्त छमाही के लिए उनकी यूनिट के विरुद्ध बकाया है जिसके लिए अलग से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा कार्यवाही चल रही है।**

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध-20) **दाखिल की है।**

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 2 अप्रैल 2014 के विरुद्ध मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 2 **अप्रैल** 2014 **के विरुद्ध मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो एनएसईजेड की यूनिट है, ने अपील की है। यूनिट अनुमोदन समिति ने मैसर्स अक्वा पूल्स एंड स्पा के पक्ष में भवन के हस्तांतरण के लिए यूनिट के अनुरोध को अनुमोदित नहीं किया क्योंकि अनुमोदन पत्र की वैधता तथा हस्तांतरणकर्ता (मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड) को आवंटित भूमि का पट्टा क्रमश:** 31 **मार्च** 2010 **और** 26 **अगस्त** 2003 **को समाप्त हो चुका है।**

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध-21) **दाखिल की है।**

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 2 अप्रैल 2014 के विरुद्ध मैसर्स अक्वा पूल्स एंड स्पा जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 2 **अप्रैल** 2014 **के विरुद्ध मैसर्स अक्वा पूल्स एंड स्पा जो एनएसईजेड की यूनिट है, ने अपील की है। यूनिट अनुमोदन समिति ने मैसर्स अक्वा पूल्स एंड स्पा के पक्ष में मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा भवन के हस्तांतरण के अनुरोध को अनुमोदित नहीं किया**

क्योंकि अनुमोदन पत्र की वैधता तथा हस्तांतरणकर्ता (मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड) को आवंटित भूमि का पट्टा क्रमश: 31 मार्च 2010 और 26 अगस्त 2003 को समाप्त हो चुका है।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध-22) दाखिल की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vi) 20 मार्च 2014 को आयोजित बैठक में एसईजेड प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध मैसर्स लक्ष्मण ओवरसीज जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

मैसर्स लक्षमण ओवरसीज जो एनएसईजेड की यूनिट है, ने 20 मार्च 2014 को आयोजित बैठक में एसईजेड प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की है। यूनिट ने निलंबित एलओपी को बहाल करने तथा निलंबन की अवधि के दौरान किराया और उस पर ब्याज के भुगतान से छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था जिसे 20 मार्च 2014 को आयोजित बैठक में एसईजेड प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध-23) दाखिल की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vii) 20 जनवरी 2014 को आयोजित बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध मैसर्स लिंगो इंपेक्स जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

मैसर्स लिंगो इंपेक्स जो एनएसईजेड की यूनिट है, ने 20 जनवरी 2014 को आयोजित बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की है। यूनिट अनुमोदन समिति ने यूनिट के अधिकृत प्रचालनों में से एक के रूप में कंप्यूटर पेरिफरल / कंपोनेंट की श्रेडिंग एवं रिसाइकलिंग की अनुमति प्रदान नहीं की।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध-24) दाखिल की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(viii) स्टर्लिंग एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए फरवरी 2014 में आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध मैसर्स ईग्लोबल रिसाइकलर्स लिमिटेड की अपील

मैसर्स ईग्लोबल रिसाइकलर्स लिमिटेड ने एल्युमिनियम इंगाट (एल्युनियम स्क्रैप, ई-वेस्ट की रिसाइकलिंग से निर्मित), कॉपर इंगाट (कॉपर स्क्रैप, ई-वेस्ट की रिसाइकलिंग से निर्मित), बहु मूल्य धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम तथा माइल्ड स्टील सक्रैप एवं स्टेनलेस स्टील स्क्रैप के विनिर्माण के लिए स्टर्लिंग एसईजेड में एक नई यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन किया था। फरवरी 2014 में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इस गतिविधि में रिसाइकलिंग के लिए अन्य प्रयुक्त माल का आयात शामिल था।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध-25) दाखिल की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ix) 7 फरवरी 2014 को आयोजित अपनी बैठक में मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड, रायगढ़, महाराष्ट्र की यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध मैसर्स वर्षा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अपील

मैसर्स वर्षा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा एफटीडब्ल्यूजेड के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में फटे पुराने / प्रयुक्त कपड़ों तथा अन्य फटी पुरानी वस्तुओं की ट्रेडिंग के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन किया था। 7 **फरवरी**, 2014 **को आयोजित बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।**

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (**अनुबंध**-26) **दाखिल की है।**

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(x) 2 मई 2014 को आयोजित बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड जो रामानुजन आईटी सिटी, राजीव गांधी सलाई (**ओएमआर**), **तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, की अपील**

मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निष्पादित करने के लिए अधिकृत प्रचालनों के रूप में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों / यूटिलिटीज को शामिल करने के लिए आवेदन किया था जिसमें से कुछ प्रचालनों जैसे कि दूरसंचार सेवा प्रदाता, कार रेंटल तथा सोलर पैनल सप्लाई इंस्टालेशन के लिए मंजूरी प्रदान नहीं की गई।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (**अनुबंध**-27) **दाखिल की है।**

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

******